

Title: Further discussion on resolution regarding formulation of an action plan to rehabilitate persons displaced from Pakistan moved by Shri Arjun Meghwal on 17.08.2012.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Item No. 27, Private Members' Business. Shri Arjun Ram Meghwal.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** महोदय, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस में पिछले से पिछले सप्ताह चर्चा हो रही थी। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव इस तरह से है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समायोजित कार्ययोजना तैयार करे। इस प्रस्ताव के तीन बिन्दु हैं - पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वाले हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना जिसमें रोजी-रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था सम्मिलित है और पुनर्वास की कोई समय-सीमा तैयार होनी चाहिए। यह प्रस्ताव का मूल भाग था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में पाक विस्थापित लोग रहते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में हैं, बाड़मेर, जैसलमेर में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, पंजाब में हैं और हरियाणा में भी हैं।...(व्यवधान) आप बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी हैं। अलग-अलग सर्वे करने वालों ने इनकी संख्या का अनुमान लगाया है, किसी ने कहा कि इनकी संख्या तीन लाख है, किसी ने ढाई लाख और किसी ने चार लाख बताया है। ये सभी हिन्दू हैं जिनमें मेघवाल, भील, बागड़ी, नलमकी, कोली आदि जातियों के लोग हैं। ये लोग पूरे पाक विस्थापित की कुल संख्या के लगभग 90 प्रतिशत हैं और 10 प्रतिशत लोग राजपूत, सिन्धी एवं अन्य जातियों के हैं। अभी जब जोधपुर में 171 हिन्दुओं का जत्था आया और जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़कियां वहां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सम्पत्ति को लूटा जाता है और हमसे बंधुआ मजदूरों की तरह खेतों में काम कराया जाता है। मीडिया के लोगों ने जब उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी जत्थे से मिलने गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी उनसे मिलने गए थे। जब हमने उनसे बात की और हमने पूछा कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन-बेटियां वहां सुरक्षित नहीं हैं, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता है, खेतों में काम कराने के बाद हमें कहा जाता है कि रोटी खाओ और मौज करो, मजदूरी भी नहीं मिलेगी।

ऐसी स्थिति में अगर किसी की दुकान है तो वह लूट ली जाती है। आज मैं 'पंजाब केसरी' अखबार में पढ़ रहा था कि एक सीनियर मेडिकल डाक्टर, जो कि काफी फेमस थे, डॉ लक्ष्मी चंद, उनकी पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे साथ तो हम वापस नहीं जाना चाहते।

हमारे देश में क्या स्थिति हो गई कि 1947 में जब पार्टिशन हुआ तो कुछ लोग जम्मू-कश्मीर में रह गए, कुछ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में चले गए। जो लोग जम्मू-कश्मीर में रह गए, उनकी स्थिति यह है कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं है। वे लोग चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। उनका राशन कार्ड नहीं बनता, पहचान पत्र नहीं बनता। वे अगर रेलवे में आरक्षण कराना चाहें तो उनके सामने संकट आता है। मैं यह कहना चाहता हूँ, लाल सिंह जी भी इसे इंडोर्स करेंगे।

**चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):** बिल्कुल करेंगे।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** यहां पर मौजूद माननीय सदस्य मदन शर्मा भी करेंगे।

**श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू):** जरूर करेंगे।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** पार्टिशन के समय जो लोग जम्मू-कश्मीर में रह गए और जो लोग आने चले गए, थोड़ा आने बढ़ गए, उनमें से दो तो देश के प्रधान मंत्री भी बने। स्वर्गीय इन्दर कुमार गुजराल साहब और डॉ. मनमोहन सिंह।...(व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी आए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग जम्मू-कश्मीर रह गए, उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है कि वे देश के नागरिक नहीं बन सके हैं। उन लोगों को क्या जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है, यह कौन सा कानून है, अगर कोई कानून इसमें आड़े आ रहा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें संशोधन होना चाहिए।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताता हूँ। अभी सिरसा में एलनाबाद से करीब 250 लोग जोधपुर गए। हम उनसे मिले और पूछा कि आपको क्या प्रब्लम है और यहां कब आए हो। वहां कुछ सीमांत संगठन के लोग काम करते हैं, वे सब अनुसूचित जाति के हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां 1971 की वार के समय आए थे। पहले वे लोग राजस्थान में श्रीगंगानगर गए, फिर एलनाबाद, हरियाणा में चले गए। वहां कहा गया कि आप विदेशी नागरिक हो। जोधपुर चूँकि एक ट्रंजिट स्टेशन है, यहां अभी भील जाति के लोग आए हैं, हम भी यहां आ गए। मैंने जब बात की कि क्या प्रब्लम है वापस पाकिस्तान जाने में, तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकते। क्योंकि वहां किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है, रोजी-रोटी का संकट तो है ही, लेकिन हमारे सांस्कृतिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं हैं। वहां हमारी बहन-बेटियां, दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, कोई धंधा नहीं करने दिया जाता है। इसलिए हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे। यह है उनकी पीड़ा। उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान में थे तो लोग हमें हिन्दू-हिन्दू कहकर अपमानित करते थे। अब जब हम अपने मुल्क में आ गए हैं तो यहां हमें नागरिकता देने और सुविधाएं देने के बजाए पाकिस्तानी-पाकिस्तानी कहकर सम्बोधित किया जाता है। यह उनकी पीड़ा है। इस पीड़ा का कोई न कोई निवारण होना चाहिए, क्योंकि यह पीड़ा बहुत गम्भीर है।

राज्य सभा में तारांकित पृष्ठ संख्या 263 पूछा गया था, जिसमें पाकिस्तान से हिन्दुओं के पलायन से सम्बन्धित सवाल था। उस सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने बताया था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते के अनुसार एक-दूसरे के आंतरिक मामलों

में हस्तक्षेप नहीं करने का प्रवधान है। इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तिब्बत पर कोई संकट आता है तो हम इस सदन में चर्चा करते हैं। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं। जब श्रीलंका में तमिल समुदाय पर कोई संकट आता है तो हम इस सदन में उस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश से कुछ लोग रोजी-रोटी कमाने यहाँ आते हैं, तो हम उनकी चर्चा यहाँ करते हैं, तो फिर पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर यहाँ आए हैं, अपना कारोबार, घर छोड़ कर आए हैं और कह रहे हैं कि वापस नहीं जाना चाहते। तो जो पाकिस्तान से हिंदू विस्थापित होकर आये हैं उनकी हम हाउस में चर्चा क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों कहते हैं कि it is the internal matter of Pakistan. हमारा यह जो रवैया है, इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। इसी के कारण दैनिक जागरण में 13 अगस्त 2012 को एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसका लेखक एक स्वतंत्र टिप्पणीकार था। उसने जो लिखा उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ " पाक के हिंदू परिवार धार्मिक तीर्थ-यात्राओं के बहाने अस्थायी वीजा पर भारत आ रहे हैं, रो-रोकर उत्पीड़न की कहानियाँ बयान करने के बावजूद भारत सरकार का कहना है कि वीजा अवधि खत्म होने के बाद उन्हें पाकिस्तान लौटना होगा। इस मसले पर भारत सरकार का रवैया हैरान करता है।" जो मीडिया के स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, स्तम्भकार हैं, वे भी ऐसा सोचते हैं कि इस पर भारत सरकार का रवैया हैरान करने वाला है। वर्ष 2012 में रिक्ल केस के कारण ऐसी घटनाएँ ज्यादा प्रकाश में आईं। पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग यह मानता है कि 40 से 50 हिंदू लड़कियाँ हर माह भगाई जाती हैं, जबर्न धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनकी सम्पत्ति लूटी जाती है। शिकारपुर, सिंध और रैसम में तीन डॉक्टर्स की हत्याएं हुईं। रिक्ल कुमारी, आशा कुमारी, मनीषा कुमारी और डा. लता के प्रकरण में जबर्दस्ती धर्म-परिवर्तन, अपहरण तथा अपराध कुछ ऐसी कहानी कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू किसी भी दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं।

1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो विभक्त होकर फैमिली के मੈम्बर अलग-अलग हो गये। कोई पाकिस्तान में रह गया, कोई हिंदुस्तान में रह गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पाकिस्तान की सीमा लगती है। कुछ लोग वहीं रह गये, कुछ इधर आ गये। मजदूरी करने के लिए तार पार करके कुछ लोग उधर गये थे वे वहीं रह गये। भारत सरकार ने स्पॉन्सरशिप का एक नियम बनाया। एक व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहा है उसकी फैमिली के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब शादी होती है या कोई मर जाता है तो मिलने आने के लिए यह जरूरी है कि कोई पाकिस्तान का आदमी आपको स्पॉन्सर करे और साथ में यह शर्त जोड़ दी कि "sponsorship should be endorsed by a Gazetted Officer" सभापति जी, जब पाकिस्तान में ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो कोई अपने पुराने दादा के दादा से मिलना चाहे, कोई अपनी बुआ की बहन से मिलना चाहे तो उसे पहले तो कोई आदमी स्पॉन्सर करे और फिर उसे किसी गजेटेड अधिकारी से अटैस्ट कराओ। मेरा प्रश्न यह है कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब है तो ऐसी स्थिति में कोई उसे कैसे स्पॉन्सर करेगा और इस स्पॉन्सरशिप को कौन एन्डोर्स करेगा और कौन गजेटेड ऑफिसर उसे अटैस्ट करने के लिए मिलेगा। यह मेरा एक यक्ष प्रश्न है।

भारत में पाकिस्तान से आये हुए लोगों के लिए कोई विस्थापित पॉलिसी नहीं है। पाक विस्थापित कोई घुसपैठिये नहीं हैं। वे वैध पासपोर्ट और वीजा लेकर भारत आते हैं। धार्मिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण वे भारत आते हैं। हमारे यहाँ जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लोग आते हैं। हिंगलाज माता का मंदिर है जहाँ चारण समाज के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों से आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूफ़ी-संतों का भी प्रभाव था जिनकी एक जैसी सांस्कृतिक विरासत थी। निर्गुण भक्ति करने वाले लोगों का भी यह क्षेत्र रहा है। मेरा कहना है कि सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी ये लोग भारत आते हैं। चूंकि पाकिस्तान में इनका जीवन सुरक्षित नहीं है इसलिए भारत में ये लोग शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर होते हैं। सभापति जी, कोई भी व्यक्ति अपना घर-परिवार, खेती-बाड़ी तथा अन्य सम्पत्ति छोड़कर आना नहीं चाहता, लेकिन जब विशेष मजबूरी होती है तभी वह इन वीजों को छोड़कर कोई आता है।

महोदय, मैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं में भारत सरकार ने जो फ़ीस की बहोतरी की है, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने कहा है कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम इन धाराओं के तहत तीन हजार से लेकर बीस हजार तक फ़ीस है। यदि एक औसत परिवार सात व्यक्तियों का है, तो उसे डेढ़ से दो लाख रूपए तो परिवार के लिए नागरिकता लेने के लिए फ़ीस ही देनी पड़ेगी, जो कि विस्थापितों के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास तो रोजी-रोटी ही नहीं है तो वे फ़ीस कहां से देंगे। महोदय, एक तो स्पॉन्सरशिप वाला कानून, जो एमएचए ने जारी किया है और एक नागरिकता अधिनियम में फ़ीस का जो स्ट्रक्चर बढ़ाया है, उसके कारण इतने साल गुजर जाने के बाद भी वे नागरिकता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अभी सिरसा, हरियाणा में लोग नागरिकता नहीं ले पाए हैं। श्रीगंगानगर के लोग नागरिकता नहीं ले पाए हैं। सुमित्रा महाजन जी यहाँ बैठी हैं, इंदौर में भी जत्था पहुंचा है, कुछ लोग पहले ही इंदौर में रहते हैं, वे भी नागरिकता नहीं ले पाए हैं। करीब तीन-चार हजार लोग इंदौर में हैं, जो नागरिकता नहीं ले पा रहे हैं। आपने फ़ीस का स्ट्रक्चर बहुत कामप्लीकेटेड बना दिया है। महोदय, कोई भी जासूसी करने नहीं आता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एमएचए एक भी घटना बता दे कि इन लोगों ने कोई जासूसी की है। एक भी केस ऐसा नहीं है जिसे आइडेंटिफ़ाई किया गया हो। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं तो उन लोगों के बीच में रहता हूँ। जब वे वर्ष 1971 में आए थे, तब उन्हें कुछ जमीन दी गई थी, तो वह परिवार के मुखिया के नाम दे दी। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि परिवार के मुखिया के नाम जमीन बीस साल पहले दे दी, उस परिवार में बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो सिर्फ पच्चीस बीघा जमीन से क्या होगा? मुखिया के नाम जमीन है, दूसरे भाई लड़ाई करते हैं कि जमीन बांटो। वह कहता है कि अगर मैं जमीन बांट दूंगा तो मेरे परिवार के लोग कहां जाएंगे। मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ कि उनमें से कई लोगों को नागरिकता नहीं मिली है और 1971 में 90 हजार के करीब लोग भारत आए थे, उनमें से जिन्हें नागरिकता मिल गई, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। इस पीड़ा की वजह मैं जानता हूँ और भारत सरकार के ये दो संकूलर हैं, इनकी वजह से भी उनकी भारतीय नागरिकता लेने में मुश्किल पैदा हुई है, वह दूर की जाए।

महोदय, पाकिस्तान में अभी एक संगठन पाकिस्तान दलित सोलिडेरिटी नेटवर्क बना है, जिसे पीडीएसएन कहते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में भी यह खूब आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ मानवाधिकार संगठन हैं, वे आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं और यह जो पाकिस्तान दलित सोलिडेरिटी नेटवर्क बना है, इसने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि जब भारत में मुसलमानों की दशा व दिशा को सुधारने के लिए सत्तर कमेटी का गठन किया जा सकता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा व दिशा को सुधारने के लिए किसी कमेटी का गठन क्यों नहीं किया जा सकता है और संविधानिक सुधारों की बात भी कही है। कुछ मीडिया के लोग यह कहते हैं कि ये तो सारे ही यहाँ आना चाहते हैं। यह बात भी सही नहीं है। मैं पाकिस्तान दलित सोलिडेरिटी नेटवर्क का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। अगर वहाँ सही परिस्थितियाँ होंगी, तो वे नहीं आएंगे, लेकिन अगर जबर्न धर्म परिवर्तन कराने का दौर लगातार जारी रखा, उनके बच्चों के बलात्कार होने का दौर जारी रखा, उनकी सम्पत्ति अगर लूटी जाएगी, तो वहाँ कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, सारे यहाँ आएंगे और हमें उन्हें नागरिकता देनी पड़ेगी।

महोदय, मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूँ। वहाँ मनीषा नाम की एक लड़की थी। कंवर्जन होने के बाद महाविश बन गई। मनीषा ने महाविश बनने के बाद अपनी दास्तां में लिखा कि साजिश के तहत पहले हिंदू नाबालिग किशोरियों का अपहरण किया जाता है और फिर उनसे कोरे कागज पर दस्तखत कराए जाते हैं, जिसमें प्रेम के प्रपंच और इस्ताम के कबूलनामे की इबारत होती है और इसके बाद उसका किसी मुस्लिम लड़के से निकाह करा दिया जाता है। यह उस लड़की ने जो मनीषा से महाविश हो गई, उसने लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह तथ्य मनीषा ने भी कहा है और पाकिस्तान में नेशनल कमीशन फार जरिस्टस एंड पीस है, उसकी भी अध्ययन रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। सारांश यह है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की न जिंदगी सुरक्षित है और न ही इज्जत सुरक्षित है।

अभी इंदौर में शरणार्थी आए थे और वे सभी सिंधी समाज के थे। पाकिस्तान छोड़कर कई सालों से अमृतसर में आकर वे लोग बसे। किशोरिया मोहल्ले में सैकड़ों लोगों को आज तक नागरिकता नहीं मिली है। शरणार्थी शिविर में 150 हिन्दू परिवार रह रहे हैं। वे कहते हैं कि हम टयूरिस्ट वीजा पर आए थे। हमें आप लॉग टर्म वीजा दीजिए। मेरा सरकार के माध्यम से पहला अनुरोध यह है कि पहले तो यह एक सर्वे कराया जाए कि पाकिस्तान से आए हुए इतनी तकलीफ में रहने वाले जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश तक कितने लोग हैं? There should be a survey. अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 30 लाख हैं। कोई कह रहा है कि 35 लाख हैं।

मेरे यहां कुछ एनजीओ काम करते हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में 70,000 लोग पनाह पाए हुए हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली हुई है। भारत सरकार उनको विदेशी मानती है। ये सब लोग थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस से आए थे और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। It should be surveyed. यह सर्वे होना ही चाहिए कि कितने लोग हैं और चाहे ये किसी भी राज्य में रहते हैं लेकिन एक सर्वे तो होना ही चाहिए।

घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अभी करांची में एक मंदिर तोड़ दिया गया। उसमें रामदेव जी का भी मंदिर था, माताजी का भी मंदिर था। कुछ लोग वहां गये हैं। ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं और जो लोग आ गये हैं, उनको स्थायी नागरिकता के अभाव में रेल टिकट बनवाने में, बैंक खाता खुलवाने में, कहीं पर काम करने में राशन-कार्ड, गैस कनेक्शन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में इन सबमें परेशानी होती है और कुछ लोग जो रह रहे हैं, वे लॉग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। रेजिडेंशियल परमिट पर रह रहे हैं। लेकिन इनकी जो परेशानी है, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा कहना यह है कि एक सार्क संगठन बना हुआ है। सबसे पहले तो सार्क में आप इस विषय को उठाइए कि क्यों नहीं हम इस विषय को सेंटिल कर सकते हैं? फिर मेरा कहना है कि Power of delegation to grant citizenship be delegated to DMs. यह डी.एम. को आपने पॉवर अभी डेलीगेट नहीं कर रखी है। लोग एमएचए में कहां आएंगे? The newly introduced fee structure on citizenship should be waived off. दूसरा मेरा यह कहना है कि Time duration for nationality process should be subsidised to five years. यह आपने सात साल कर दिया। अधिकतर देशों में पांच साल हैं। यहां के लिए सात साल क्यों किया? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। There should be no deportations by force, as these displaced groups are migrating from the country of origin due to religious discrimination and on cultural grounds. मैरिज के काम से या किस कारण से आते हैं, इसलिए इसको जो आप कई बार फोर्सफुली डिपोर्टेशन करते हैं, वह इसमें नहीं होना चाहिए। Visa extension/addition powers should be given to local FRRO and State Department of Home. Once any one submits the valid document for permanent settlement, they should be permitted by the State Government to go to other cities in India for livelihood, work permit, marriage, death or any other important work. अब वे जो सिरसा में रहते हैं, वे कहते हैं कि हमें सिरसा छोड़कर, एतनाबाद छोड़कर तुम पाकिस्तान को ही क्यों कहते हो? हम फिर क्या खाएंगे और क्या करेंगे? कहीं पर हमारे किसी रिश्तेदार की डैथ होती है तो वहां भी नहीं जाने देते। अब राज्य सरकार को भी एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। मैं जहां से आता हूं, एन.एच-15 बीच में पड़ता है। State Government should issue the permission to visit the west of NH-15 as most of the Pak settlers reside in border areas. The situation becomes inhuman when a married girl cannot visit her parent's home who is just married a year ago. दूसरा मैं कह रहा था कि Displaced people desiring to settle down permanently in India should be issued the driving licence, insurance and bank accounts. They should also not be deprived of basic services like health, education, electricity, ration card etc. No penalty should be imposed on overstay. वे मजबूरी में ही यहां रह रहे हैं। आप पैनल्टी उन पर लगा देते हैं। Promotion of the cultural rights of the refugees; the Government should make specific efforts for the preservation of the unique ethno-geographic history and culture of the people.

The Centre must constitute a review committee. It should include representatives from the Ministry of Home, Ministry of External Affairs, and Rehabilitation Department. कमेटी कांस्टीट्यूट करके विजिट भी करे। A permanent cell can be constituted with immediate effect to review the Status. अब एक और बात भी है, उन्हें कहा जाता है कि आपको रिफ्यूजी स्टेट्स नहीं देंगे। वे क्या खाएंगे? उनके कपड़े आदि की व्यवस्था समाजसेवी संस्थाएं करती हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination में पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। हम पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बना सकते हैं? वहां क्यों डिस्क्रीमिनेशन होता है? मेरा आपके माध्यम से कहना है कि संसदीय दल की टीम को विजिट करना चाहिए। वे जोधपुर, इंदौर, सिरसा में रह रहे हैं। वहां संसदीय दल की टीम को भेजा जाना चाहिए।

अंत में मेरा कहना है कि इनकी पीड़ा को यहीं नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी पीड़ा को देखकर भारत सरकार को निश्चित रूप से सुधार करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से यही मांग है।

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

"Taking into account the problems being faced by the persons migrated from Pakistan to India and settled in various parts of the country, this House urges upon the Government to take immediate steps to grant them citizenship and formulate a time bound action plan to extend them facilities as are available to other citizens of the country."

**श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू):** वेयरमैन साहब शुक्रिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अर्जुन राम मेघवाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वह प्राइवेट मेंबर रिजाल्यूशन लाए हैं। इस रिजाल्यूशन के तहत यहां बदकिरमत लोगों के बारे में बहस हो रही है। मैं भी इस संबंध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और कुछ बातें सरकार तथा हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूँ। मेघवाल जी ने अपनी रियासत राजस्थान और बाकी देश के हिस्सों का नाम लिया। मेरी रियासत जम्मू-कश्मीर में वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी सबसे ज्यादा तादाद में हैं। ये लोग पिछले 65 वर्षों से अपने ही देश में रिफ्यूजी हैं। जब पार्टीशन हुआ, एक मुल्क के दो मुल्क बने, पाकिस्तान वजुद में आया उस वक्त यहां से कुछ लोग यहां गए, कुछ लोग हिन्दुस्तान में आ गए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आ गए। कहीं और के लोग दूसरी रियासतों में पहुंचे तो उन्हें सारी सहुलियतें, सुविधाएं मिली, हकूक मिले। कुछ बदकिरमत लोग जो ज्यादा तादाद में नहीं हैं, जो रियासत जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि 20,000 कम से कम परिवार हैं जो 60-65 वर्षों से रियासत जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। ये मुल्क हिन्दुस्तान के नागरिक हैं लेकिन वहां उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता है, न कोई नौकरी मिलती है, न वे जमीन खरीद सकते हैं, न ही वे पंचायत या असैम्बली इलैक्शन लड़ सकते हैं लेकिन वे पार्लियामेंट का वोट डालते हैं। इसके अलावा वे कोई और इलैक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे पिछले 65 वर्षों से अपना गुज़ारा कैसे कर रहे हैं। उनके दिल पर यह सोचकर क्या बीतती होगी कि हम किस मुल्क में रहते हैं, जो अपने ही लोगों को नहीं अपनाता है, हकूक नहीं देता है। होम मिनिस्टर आफ स्टेट यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो दाग लगा हुआ है, बदनामी लगी है इसके बारे में हम सबको पोलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए क्योंकि वे हमारे भाई हैं। 65 वर्षों में यहां उनके बच्चे पैदा हुए और आज यहां उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं।

## **16.00 hrs**

और यहां के पाकिस्तानी लोग जो हिन्दुस्तान से ही थे, वे उनके यहां शादियां कर रहे हैं। उनकी आपस में इतनी गहरी रिश्तेदारियां हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जब उनके बच्चे पढ़ जाते हैं तो उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। वे कोई कारोबार नहीं कर सकते, वे कोई छोटी से छोटी सर्विस भी हासिल नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम इस देश के अंदर कितनी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने ही देश के अंदर जो नागरिक बैठे हैं उनके हक और हकूक की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि हम सब लोगों को इंसाफ दे रहे हैं, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह एक जिंदा-जागता सबूत है कि वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 1965 में पाकिस्तान की जमीन को छोड़कर हिन्दुस्तान में आए, 65 वर्षों में किसी ने उनकी सुध नहीं ली। यहां चर्चे हुए, यहां बहस होती है, यहां उनके बारे में दर्जनों दफा बातें हुई होंगी। पिछले आठ-नौ वर्षों से हमने भी यहां उनका मुद्दा उठाया। मुझे एक साहब कह रहे थे कि यदि प्राइवेट मेंबर रिजाल्यूशन आता है तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जम्मू में रहता हूँ, उनका सांसद हूँ, जब वे मेरे पास आते हैं तो वे मुझे क्या-क्या कहते हैं कि आप हमारे वोट लेते हो, लेकिन हमारी बात नहीं करते हो। पिछले दिनों उनका वफद यहां आया और प्रधान मंत्री जी, होम मिनिस्टर और मैडम सोनिया गांधी जी से मिला, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। मैं मरकजी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना पार्ट अदा भी किया। जो हिन्दुस्तान की सरकार को करना था, उन्होंने उनके बच्चों को पैरा-मिलिट्री फोर्सेज और आर्मी में भर्ती करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह प्रबंध भी किया कि जो डोमिनाइल सर्टिफिकेट दिखायेगा, उसे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार लगाने के लिए बैंकों से कर्जा देने का वायदा भी किया। उन्हें अपनी कोई जमीन-जायदाद मार्गेज नहीं करनी पड़ेगी। वहां वोट डालना स्टेट सब्जेक्ट है, यह मैं भी समझता हूँ। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार को रियासत जम्मू-कश्मीर की सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए। आप किस बात से डरते हो। जो लोग 1947 में पाकिस्तान चले गये, आज उनके हकूक यहां महफूज रखे गये हैं। लेकिन जो अपनी जायदाद-जमीन वहां छोड़कर आये, उनके बारे में आप कुछ नहीं सोचते। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह दोनों सरकारों का काम बनता है, रियासती सरकार और मरकजी सरकार दोनों को मिलकर ये बातें करनी पड़ेंगी। क्योंकि साठ वर्षों में यह मसला ऐसा हो गया, जो मैं इस हाउस में कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि मरकजी सरकार पिछले 60-65 वर्षों में हिन्दुस्तान की सरकार को इस मसले को समझाने में और उनके जेहन में बैठाने में कामयाब नहीं रही, न यहां की सरकारों ने उनके मसले को समझा और हल करने की कोशिश की। सिर्फ जब इलैक्शन आता है तो सारी पार्टियां अपने इलैक्शन मेनिफेस्टों में, चुनाव घोषणा पत्र में दर्ज करती हैं कि यदि हम इतिहास में आये, यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका मुद्दा, आपका मसला हल करेंगे। यह 10-15 दिन की बात होती है, लेकिन जब कोई जीत जाता है या हार जाता है तो उन बेसहारा लोगों की बात कोई नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह उनका हक बनता है, यह उन्हें मिलना चाहिए। वह अक्सर जन्त मन्तर पर आते हैं और हर तीसरे महीने धरना लगाते हैं। वे बहुत सारे सांसद साहेबान से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौअजिज हाउस से बड़ी कोई जगह नहीं कि जहां उनकी बात हो और उनकी बात को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले कुछ समय से होम मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है। जिसके लिए हम होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करते हैं।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 1947 के वे रिफ्यूजी भी हैं, जो पाक ऑकुपाइड कश्मीर के रिफ्यूजी हैं। रियासत जम्मू-कश्मीर में उनकी तादाद कोई 31 हजार फैमिलीज हैं। उनके वन टाइम सैटलमेंट की बात है, वे रिफ्यूजी नहीं हैं, वे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का हमारा जो हिस्सा जबरन दबाकर रखा है, वे वहां से आये हैं। उनके वन टाइम सैटलमेंट की बात है। मैं आपकी मार्फत मरकजी सरकार की होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ। आज सुबह भी मैं प्रधान मंत्री जी से मिला और मैंने यह कहा कि अगर इनका मसला आपके वक्त में भी हल नहीं होगा तो न कोई पहले और न कोई बाद का प्रधान मंत्री आकर इसे हल करेगा। इसलिए वन टाइम सैटलमेंट में वे क्या चाहते हैं।

आप 25 लाख नहीं देंगे तो 15 लाख ही दे दो, एक मसला हल हो जाएगा। उसके साथ सन् 1965 के रिफ्यूजीस, सन् 1971 के रिफ्यूजीस का क्या कसूर है? जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है? जिनके ऊपर चार-पांच जंगें हुई हैं। सन् 1947 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, सन् 1971 की लड़ाई हुई और सन् 1999 की लड़ाई हुई। उन लोगों ने इतनी जंगें देखी हैं। आज सारे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन जंगों में सैंकड़ों लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन जो लोग घर-बार छोड़ कर आए थे, हमारी सरकार ने उनको आबाद किया है। लेकिन उनकी प्रोपर रिहैबिलिटेशन नहीं है। किसी की जमीन कम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने फिक्स किया कि इतनी जमीन अभी मिलेगी, आपको मकान बनाने के लिए यह मिलेगा, वह सब कुछ पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके लिए भी एक प्रोग्राम बना कर उनकी कमी को पूरा किया जाए।

सर, यह ऐसे लोगों का मसला है जो सरहदों पर रहते हैं। पहले भी बार्डर पर थे। आज वे इस मुल्क के बगैर वर्दी के फौजी बन कर अपनी फौज के साथ मिल कर सरहदों के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन उनकी बात, चाहे वह डिप्लोमेट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, दो-तीन बातें मैं मरकजी सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूँ। हम बहुत सारे लोगों के लिए पैकेज बनाते हैं। चाहे सन् 1947 के रिफ्यूजी हैं, चाहे सन् 1965, सन् 1971 और सन् 1999 के रिफ्यूजी हैं या वेस्ट पाकिस्तानी हैं, उनके लिए स्पेशल एंप्लाइमेंट पैकेज तैयार करना चाहिए। जिसको आप जमीन नहीं देते हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, उसको रियासत

जम्मू कश्मीर की सरकार नौकरी नहीं देती है, उसको जमीन नहीं एलॉट करती है, उनको वोट डालने का हक नहीं देती है। लेकिन मरकजी सरकार को एक एंक्लाइमेंट पैकेज बना कर सन् 1947, वेस्ट पाकिस्तानी, सन् 1965, सन् 1971 और सारे बार्डर के साथ-साथ जो रहते हैं, उनको एम्पलाइमेंट दी जा सकती है। उनको पैरामिलिट्री फोर्स में, आर्मी में या जो दूसरे शोबे या डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर उनको एम्पलाइमेंट दी जा सकती है। ताकि वे यह महसूस करें कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे पीछे सारा हिंदुस्तान है। सारे देश के लोग हमारे साथ हैं। वे अपने आपको अकेला न समझें। मैं समझता हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर हमें उन लोगों के मसले को हल करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए।

मैं होममिनिस्टर साहब को भी बोलूंगा कि हमें रियास-ए-जम्मू कश्मीर सरकार से भी बात करनी चाहिए। आप लोग क्यों डरते हैं? क्या बीस हज़ार फैमलीज़ का वोट दस लाख बन जाएगा? मैं यह भी कह सकता हूँ कि अगर दस हज़ार फैमली भी कश्मीर के अंदर होती तो यह मसला आज से पचास साल पहले हल हो जाता। क्योंकि वे सारे जम्मू रीजन में हैं। जितने किरम के भी रिप्यूज़ी इन 60-65 वर्षों में हुए हैं, वे सारे जम्मू के अंदर आबाद हुए हैं। जिस-जिस की भी सरकार वहां रही हो, वे भनाल के उस पार वाले लोग डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं कि जम्मू के वोट बंट जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस सोच को छोड़ कर हमें ईमानदारी के साथ सन् 1947, 1965, वेस्ट पाकिस्तानी रिप्यूज़ी, सन् 1971 और सन् 1999 में भी जिनका नुकसान हुआ है, जिनको आज हम हुकूक नहीं दे पाए हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं, मैं कहूंगा कि मरकजी सरकार को बड़ा दिल कर के और होम मिनिस्ट्री को, जैसे ये काम कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आफिसर्स को भी बोलें कि ईमानदारी के साथ उन बेसहारा लोगों की मदद करें। यह बात कभी न आए, जो वतनपसंद लोग हैं, जो मातृभूमि हिंदुस्तान की धरती से प्यार करते हैं, उनको इतना मजबूर मत कर दो, इतना परेशान मत कर दो कि वे हमसे और हमारे मुल्क से नफरत करना शुरू करें और हमारे दुश्मन की वे चालें कामयाब हो जाएं जो बहुत सारे हथकण्डे अपना रहा है और हमारे मुल्क में अफ़रातफ़री फैलाना चाहता है और वह अपने मकसद को पूरा करना चाहता है।

मैं कहूंगा कि हमारी मरकजी सरकार और होम मिनिस्ट्री की यही कोशिश रहेगी कि समय रहते हम उनकी इन सारी बातों को हल करें और 65 साल का जो मसला है, उसको हल करें। शुक्रिया, जय हिंद।

**श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर):** महोदय, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने लिए यहां खड़ी हूँ। मैं अपने साथी को धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने यह मसला यहां पर उठाया। यह वास्तविकता है कि जैसे जोधपुर में उनके लिए यह भारी समस्या है, उसी प्रकार मेरे अपने क्षेत्र इन्दौर में भी इसी प्रकार से सिंधी समुदाय के लोग या पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थी आते ही रहते हैं और हमेशा इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं इसे समस्या भी नहीं कहूंगी। मेरा यह कहना है कि आखिर यह है क्या, हम इनको क्या करें, ये आते हैं, हम ऐसा भी कैसे करें, ये तो हमारे अपने हैं। हिन्दुस्तान तो एक ही था, हमने सियासत में इसके दो टुकड़े किये। इसमें गलती किसी की भी नहीं है। वे वहां सिंध प्रान्त में रह रहे हैं, आज हम भी कहते हैं कि हम हिन्दू हैं, हम सिन्धु संस्कृति की बात करते हैं, हम केवल सिन्धु नदी की बात नहीं करते हैं, सिन्धु संस्कृति से हम अपना उद्गम मानते हैं और इसीलिए हम अपने आपको हिन्दू कहते हैं। वे वहां रह रहे हैं, कहानी तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, हम कहते हैं कि उसने सिंध प्रान्त पर आक्रमण किया। राजा दाहिर की कन्याओं का समर्पण उस समय हुआ था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और फिर अपने आपको एक प्रकार से समर्पित कर दिया था, झोंक दिया था, अपना जीवन दे दिया था। वह कहानी आज भी हम कहते हैं, लेकिन वह कहानी आज केवल कहने की बात नहीं रह गयी है, वास्तव में फिर से वही कहानी हमारे सामने है। हमारी जो लड़कियां हैं, जिनकी बात अभी की जा रही है, किसी लता की कहानी सामने आती है, किसी चंचल कुमारी की कहानी आती है, अलग-अलग नाम से कहानियां आती हैं, किसी पूनम की कहानी आती है, गुलाबो की कहानी आती है, अगर कहते जायें तो इतनी सारी कहानियां सामने आती हैं और फिर से आजादी के इतने साल बाद वही बात हमारे सामने खड़ी होती है। यह हमारे लिए शर्मनाक विषय है। हम बहुत बड़ी बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल एमनेस्टी की और साउथ अफ्रीका में किसी पर कुछ हुआ तो हम यहां पर उसका रोना भी रोते हैं, उसकी बात यहां करते हैं। फॉरेन में अर्बॉर्जिन कहकर किसी को बाहर ढकेला जाता है, तो उस समय भी हमें दुख होता है। यहूदियों के लिए भी हमें दुख होता है। जब इस प्रकार से और कारणों होते हैं, अलग-अलग समुदाय को अल्पसंख्यक होने के नाते भुगतना पड़ता है तो उस समय हमें भी दुख होता है, लोगों पर अत्याचार होते हैं तो हमारे मन में भी दर्द होता है। यह सब कुछ हम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की चर्चा होती है।

महोदय, आज बहुत सी बातें कही गयीं, लेकिन मैं उन्हें रिपीट करके समय नहीं लेना चाहूंगी। मेरा यह कहना है कि ये सब बातें इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, लेकिन ये जो हमारे अपने लोग हैं, हमने कहा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश के दो हिस्से हो गए और फिर लगातार दोनों भाई-भाई के समान रहे और इसलिए यह मानते हुए हमारे कुछ लोग, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए अपनी जमीन और घर छोड़ना आसान नहीं है। हम एक जगह से दूसरी जगह बदलकर जाने में भी, चाहे किराये का मकान हो, तो भी हमें कहीं न कहीं दर्द होता है, हम सालो-साल उसे नहीं छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि पच्चीस साल से हम इस मकान में रह रहे हैं, तो हम उसे छोड़कर जाने की बात नहीं कहते हैं। मेरा आज यह कहना है कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह क्या हो रहा है? ये हमारे ही अपने लोग हैं, उनकी बात कौन करेगा? साल दर साल वे आते ही जा रहे हैं, हम क्यों नहीं इस बात को जोरदार तरीके से उठाते हैं? आज यहां पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मौजूद हैं, तीन दिनों तक उनसे बातें होंगी। मेरा विश्वास है कि एक भी लाइन की चर्चा इस विषय पर नहीं होगी। हमारा आग्रहपूर्वक कहना है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

क्या कारण है? क्या दोष है उनका? आज जो परिस्थिति है, पाकिस्तान में अगर देखें, मैं हिन्दुस्तान के किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन भारत देश का यह अपना एक चरित्र है। जितने भी बाहर के लोग आते हैं, हम प्रेम से उनको अपनाते हैं। शक आए, कुशाण आए, हूण आए, पारसी लोग तो हमारे अपने बनकर रह गए, बंगलादेशी भी आए, जो भी आए, हम उनको अपनाते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज भी हम अल्पसंख्यक कहकर हर समय उनको सम्मान देते हैं। हमारे प्रधान मंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा जो भी बजट है, हमारी जो भी हिन्दुस्तान की आय है, उसमें 15 प्रतिशत हिस्सा तो उनका है, ऐसा हम अधिकारपूर्वक बात करते हैं। यह हिन्दुस्तान का स्वभाव है मगर उसी समय वही हिन्दुस्तान यह क्यों भूल जाता है कि हमारा भी अपना कोई ज़िगर का टुकड़ा जो वहाँ रह गया, उसका कोई दोष नहीं था, आज उसकी सुध-बुध कौन लेगा, और आज वहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो देखो, जब हम अल्पसंख्यक कहते हैं, माफ करना, नायाज़ नहीं होना, लेकिन हमारे यहाँ तो उनकी संख्या परसेंटेजवाज़ बढ़ रही है। बढ़नी चाहिए, मैं कोई उसको रोकने की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान में पहले अगर 20 प्रतिशत हिन्दू थे, तो आज इतने साल बाद उनकी संख्या दो प्रतिशत रह जाती है, और यह दो प्रतिशत भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ लड़कियों की शिक्षा की

बड़ी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मेरी बहन रहेगी, उसकी लड़की को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। उसकी लड़की को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, अगर वह मंदिर दर्शन के लिए भी निकलती है तो वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है और वापस आती ही नहीं है। लता का अपराध क्या था कि उसने नर्सिंग कोर्स करने की इच्छा व्यक्त की। वह तो सेवा की बात कर रही थी। अगर वह नर्स बनती तो सेवा करते समय वह यह पूंन नहीं पूछती कि मरीज़ हिन्दू है या मुसलमान है, लेकिन नर्सिंग कोर्स जॉइन किया इसलिए उसका अपहरण होता है। मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। यह तो बात है कि केवल हिन्दू और हिन्दुओं को कुचलो। यह जो मनोवृत्ति पाकिस्तान में चल रही है, यह घटना उसकी प्रतीक है और वह लता दो-तीन महीने भुगतती है और एक दिन मालूम नहीं, कैसे हिम्मत करके, जुगाड़ करके अपने घर फोन करती है और बची हुई दोनों बहनों को लेकर हिन्दुस्तान भाग जाती है। यह लता की कहानी है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, तो बहुत दर्दनाक सबकी कहानियाँ होती हैं। मैं सबका वर्णन नहीं करती। मगर आज मन में एक दर्द होता है।

हमारे हिन्दुस्तान का यह स्वभाव तो अच्छा है कि हम सबको अपना रहे हैं लेकिन साथ ही साथ स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज़ होती है। अपने लोगों की रक्षा का भाव भी तो होना चाहिए। एक दर्द और एक टीस मन में उठनी ही चाहिए और वह दर्द और टीस, जिनका कोई दोष नहीं, ऐसे जो हमारे हिन्दू बंधु-बंधव हैं, आज इस पूरी धरती पर हिन्दुओं को जाने के लिए हिन्दुस्तान के अलावा कोई और जगह नहीं है, यह मैं गारंटी से बोल रही हूँ, मुझे बताइए अगर कोई जगह हो तो। ऐसे में अगर वह भाई और बहन यहाँ आएं तो हम क्या कर रहे हैं? नागरिकता प्रदान करने की तो बात दूर, वह तो हमारी डिमांड है ही, लेकिन हमारी जो इंडियन एम्बेसी है, उस इंडियन एम्बेसी का रुख भी अच्छा नहीं है। पहले यह होता था कि पहले रूटीन वीज़ा मिलता था। फिर रूटीन वीज़ा तीन महीने के शॉर्ट पीरियड का, फिर एक साल का होता था, यह सब होता था। आज वही एम्बेसी में वीज़ा मिलने में इतनी तकलीफ होती है कि तीन-तीन गारंटर हिन्दुस्तान के भी दे दो, यह मांगा जाता है, उसकी बैंक गारंटी मांगी जाती है, लिखकर मांगा जाता है, उसके बाद भी आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ इंदौर में जैसे कहा, जो सिंधी लोग आते हैं, थोड़े से मध्यमवर्गीय लोग हैं और उनसे क्या-क्या डिमांड होती है वहाँ वीज़ा बनाते समय, माफ करना, मैं बोलूंगी नहीं, आप ही उसकी जाँच करें। लेकिन क्यों ऐसा होता है? अब मुश्किल यह हो रही है कि उनको वीज़ा नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आएं और आने के बाद अगर यहाँ की नागरिकता लेना चाहें तो कहा जाता है कि पहले तो सात साल तक एक अच्छा रिकार्ड साबित करते हुए आप यहाँ रहोगे। उसके बाद बोला जाता है कि पासपोर्ट की अवधि बढ़ाओ। अब मुझे बताओ कि जो पाकिस्तान धार्मिक वीज़ा पर 35 दिन के लिए जाने वालों से यह अंडरटैकिंग लेता है कि लिख के दो कि आप वापस आओगे, आप वहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि आप यहाँ से चले जाओगे तो हम पूरे वर्ल्ड में क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ से लोग पलायन कर गए, चाहे उनकी जो मंशा हो। क्या वह पासपोर्ट की अवधि बढ़ा कर देंगे? पासपोर्ट की अवधि बढ़ा कर नहीं मिलती है, जिससे नागरिकता नहीं मिलती है, चोरी-छिपे रहना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते हैं। वहाँ से मिडिल क्लास के लोग थोड़ा बहुत कुछ लाए हों, जैसा कि आपने कहा कि जोधपुर में शरणार्थियों को सड़क के किनारे रहना पड़ता है। हो सकता है कि इंदौर में ऐसी स्थिति न हो, क्योंकि सिंधियों की पहले ही अच्छी आबादी है जो कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय आए थे और अपना व्यवसाय करते हुए आज अच्छी स्थिति में हैं तथा अपने भाई- बहनों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन वे कितने दिनों तक मदद कर सकेंगे।

अभी कुछ समय पहले एक मसला हुआ था, उस समय एनडीए की सरकार थी। मैं माननीय आडवाणी जी को धन्यवाद दूंगी कि कुछ डाक्टर आए थे, मगर कुछ लोगों को तकलीफ थी कि वे डाक्टर तो हैं, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की होगी और अच्छी प्रैक्टिस की होगी, हमारे यहाँ जैसे एक डाक्टर का सम्मान होता है, वहाँ भी सिंध प्रांत में उनका सम्मान होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद वे यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी को दवा भी दें, तो उन पर केस हो जाता था। उन्हें चोरी-छिपे रहना पड़ता था और यह मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं कहूंगी कि उस समय मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने कई वर्षों तक उन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दी। हमने उस समय प्रयास किए, माननीय आडवाणी जी को बताया और बताने के बाद उन्हें उस समय नागरिकता भी प्रदान हो गई और प्रैक्टिस करने की अनुमति भी मिल गई।

सभापति महोदय, आज मेरा कहना इतना ही है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, मानवता की बात तो है ही, लेकिन मानवता के साथ-साथ उनका अपना जो अधिकार है, मेरी डिमांड है कि उन्हें नागरिकता तो मिलनी ही चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए, वीजा लेने में भी उन्हें तकलीफ आती है, और नागरिकता आसानी से मिलनी चाहिए। वे सभी हिंदू हैं, आप उनकी जांच कर सकते हैं, मगर उन्हें नागरिकता मिलना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को उन्हें अस्थायी नागरिकता देने का कुछ विशेष अधिकार है, अगर ऐसा है तो यह अधिकार मध्य प्रदेश की सरकार को भी मिलना चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने हमें मदद तो की है कि जो अभी-अभी लोग आए थे, धार्मिक वीज़ा पर उनको वहाँ रहने की अनुमति देने की यहाँ से जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि रहने दो, हम नहीं आपको यहाँ से जाने के लिए कहेंगे और उन्होंने जब यहाँ रिक्वेस्ट की तो उन्हें अनुमति दे दी गई। मगर जितनी जल्दी हो सके उन्हें उतनी जल्दी नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस बात को उठाना चाहिए कि जो पाकिस्तान में आज की तारीख में हो रहा है, क्योंकि हम अपने यहाँ तो सभी को सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोगों को जिल्लत उठानी पड़ रही है, उसकी चर्चा कहीं न कहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी चाहिए, यह मेरी मांग है। ऐसी घटनाएँ रोकने के लिए जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए हैं, उनके साथ कठोर चर्चा होनी चाहिए। एक बात और कहनी है कि जो भी वहाँ रह सकते हैं वे सुरक्षित तरीके से रहें, यह भी होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि शरणार्थियों का दर्जा, बिलकुल सही बात कही कि अभी भी जो लोग आ रहे हैं, वह शरणार्थी ही हैं, कोई प्रेम से अपना घर छोड़ कर नहीं आ रहे हैं। मजबूरी में आ रहे हैं और मजबूरी तो ऐसी है कि अपनी लड़कियों की जान की रक्षा करने के लिए, उनकी असमत बचाने के लिए, खुद का जीवन बचाने के लिए सब कुछ छोड़ कर यहाँ वह आ रहे हैं। हमारे वहाँ दो मंदिर हैं। पेशावर में गोरक्षनाथ का मंदिर है और हिंगलाज माता का मंदिर है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ एक छोटे से दरगाह की ईंट भी हिलती है तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, होना भी चाहिए। मैं इससे इन्कार नहीं कर रही। वहाँ हिंगलाज माता का मन्दिर तो हमारी अस्मिता से जुड़ा है। उसकी रक्षा के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। इस बात की जोर-शोर से चर्चा जहाँ भी हम कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बातों की चर्चा करें और मानवाधिकार पर भी चर्चा होनी चाहिए। इन लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। जो लोग यहाँ रहना चाहें, उन्हें नागरिकता प्रदान करें। वे हमारे अपने हैं। उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने का जो अधिकार है, वह अधिकार उन्हें दिलाने के लिए भारत सरकार जो भी कर सकती है, उसके लिए केवल प्रयास ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से नियम-कानून बनाकर उनकी मदद करनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी):** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के नागरिक और पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार किया जाए, इस पर बोलने का अवसर दिया। मैं अर्जुन मेघवाल जी का बहुत आभारी हूँ। भारत के सामने और केन्द्र सरकार के सामने यह मसला अति संवेदनशील है। अभी मैं मदन लाल शर्मा जी का दर्द, आदरणीय दीदी सुमित्रा जी का भाषण सुन रहा था।

सभापति महोदय, पाकिस्तान की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है। यह लगभग 17 करोड़ की है। वहां पर 27 लाख अल्पसंख्यक हैं, जो हिन्दू हैं और जो अब बचे हैं। मुझे यह भी याद है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे अल्पसंख्यक हिन्दुओं को यह आश्वासन दिया था कि उनकी पूरी रक्षा होगी। उनके सामान का और हर तरीके से उनकी रक्षा होगी। यही कारण था कि कुछ लोग उधर गए और कुछ लोग यहीं रह गए जिनके पूर्वज यहीं पर थे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि अर्जुन मेघवाल जी ने पाकिस्तान की बात की, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, जिसे हम लोगों ने आज़ाद कराया। हमारी सीमा पर तिब्बती हैं। वहां से जो बेचारे आते हैं, उनके पुनर्वास की भी पूरी जिम्मेदारी है। उनके तमाम मॉनेस्ट्री वगैरह बने हुए हैं। उसे हम लोग देखने जाते हैं। जब बांग्लादेश बना, उस समय भी लोग वहां से आए। जो भी सरकारें रहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन सरकारें रहीं, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी पुनर्वासित करने की एक योजना थी। हमारे सामने बांग्लादेश, नेपाल, और तिब्बत जैसे तमाम ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम उदाहरण पेश कर सकते हैं।

महोदय, आज पाकिस्तान में यह स्थिति है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो हिन्दू हैं, वे खौफ और दहशतगर्दी में जी रहे हैं। कभी अगर वे यहां आते भी हैं तो डेढ़-दो महीने, अधिकतम तीन महीने की वैध वीज़ा उन्हें दी जाती है। वे यहां इस बहाने आते हैं कि हम भारतवर्ष में अपने संबंधियों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें। यहां के जो धार्मिक तीर्थस्थल हैं, वहां घूमने के लिए वे हमारे यहां आते हैं। लेकिन, कभी-कभी उन्हें यहां का वातावरण इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार-सम्मान, अपनत्व दिखायी पड़ता है कि वे यहीं रहना चाहते हैं। वे कोशिश भी करते हैं कि उनकी वीज़ा की सीमा बढ़ जाए। वे दीर्घावधि वीज़ा के लिए भी आवेदन करते हैं। लेकिन, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कयार हुआ है, उसमें पता नहीं क्या मजबूरी है? यहां के विदेश मंत्री जाते हैं, वहां के विदेश मंत्री भी आते हैं। क्या कयार है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनकी जो मनोभावना एवं मनोवृत्ति है कि हम भारत में चल कर कुछ करें। यहां तक कि कुछ समय बाद वे कोशिश करते हैं कि हम यहीं पर बस भी जाएं, हमें यहां की नागरिकता मिले। ये बहुत मेहनतकश होते हैं। हमारे यहां बहुत से इलाहाबाद में हैं, जो सिधी हैं। ये बाहर से आए हैं। छोटे-छोटे रोजगार शुरू करके आज वे बड़े पूंजीपति, करोड़पति, अरबपति तक हो गए हैं। ये स्थिति है। यह सरकारी आंकड़े बताते हैं। अभी अर्जुन मेघवाल जी ने बड़े विस्तार से यह बात कही कि अगर 2012 तक केवल दो सौ लोगों को अटारी और वाघा बार्डर से यहां प्रवेश किया। जब कि मेरे ख्याल से आंकड़े बहुत हैं। आज अगर वे वहां पर हैं तो उनको हमेशा धमकी दी जाती है, उनके ऊपर उत्पीड़न होता है। उन्होंने इस बात को बड़े विस्तार से बताया, मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, चूंकि अभी आप घंटी भी बजा देंगे। अगर इस पर बोला जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बोला जा सकता है और काफी देर तक बोला जा सकता है।

सन् 1972 में पाकिस्तान और भारत से शिमला समझौता हुआ था और यह कयार हुआ था कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्त हस्तक्षेप हो रहे हैं। कभी-कभी वे देश भी आरोप लगाते हैं कि साहब, पता नहीं भारत के उच्चायुक्त ने कैसे ढाई सौ वीज़ा दे दिए, लोगों को जाने की अनुमति दे दी। यहां पर उनकी स्थिति यह हो जाती है कि उनको भगाने का प्रयास होता है कि आप जाओ, आपके वीज़े की अवधि समाप्त हो गई है। वे बेचारे दोनों तरफ से मारे जाते हैं। वे न अच्छे तरीके से यहां रह पाते हैं और न ही वहां रह पाते हैं। एक तरीके से दोनों तरफ से उनका उत्पीड़न होता है। कुछ लोग बहाने से भी आते हैं कि हम वहां जाकर रहेंगे और अगर हमें वहां कुछ रोजगार मिला, कुछ मिला तो हम वहां रह कर, वहीं पर नागरिकता भी ले लेंगे।

अभी मैं मदन लाल शर्मा जी का दर्द सुन रहा था कि आजादी के बाद से तमाम लोग ऐसे हैं, जो जम्मू-काश्मीर में हैं। आज वे भी प्रयास कर रहे हैं। न तो वे मतदाता हैं, न ही उनका लाइसेंस बनाया जाता है और न ही उन्हें भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल पाता है। उनके सामने ये दिक्कतें हैं। दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, इसको ये गंभीरता से लेंगे। मेरे ख्याल से यहां अगर शिंदे साहब होते तो और अच्छा होता। हमारे गृह राज्य मंत्री जी कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कितना कह पाएंगे। हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं, आपने माननीय सदस्यों का दर्द सुना होगा। अब वे चाहे सिंध प्रांत से आए हुए बलूचिस्तान के लोग हों। जकोबाबाद की भी यहां पर बात कही गई। अभी अर्जुन जी ने कहा कि जो जोधपुर हवाई अड्डे से आए, वहां के चीफ मिनिस्टर, श्री अशोक गहलौत जी उनसे मिलने भी गए। उन लोगों को आश्वासन भी दिया। तमाम तरीके की बातें हुईं, लेकिन वे अपने को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहां पर जो सुन्नी कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने वहां पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मैं अभी रेफरेंस पढ़ रहा था, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन वे बेचारे अमृतसर आते हैं, और दीदी के यहां इन्दौर जाते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश भी जाते हैं। तमाम तीर्थस्थल और पुरातत्व ऐसे स्थल हैं, जहां पर वे विवरण के लिए आते हैं। वे सैलानी बन कर हमारे यहां आते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान नहीं दे पाते। पाकिस्तान के गृह मंत्री जी शक भी करते हैं, वहां भारत के उच्चायुक्त हैं। आप इतनी संख्या में क्यों एलाऊ करते हैं, उन्हें क्यों आने दे रहे हैं, क्या कारण है? तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। कभी-कभी वे भी अनुमति नहीं देते कि आप जाइए, वाघा और अटारी बार्डर पर रोक लिए जाते हैं। वे दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहां पड़े रहते हैं। जब उनको सही लगता है, तब वे थोड़े-बहुत छोड़ते हैं। ये प्रवृत्ति मैंने देखी। जब पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक साहब थे, उस वक्त से वहां पर अत्याचार शुरू हुए। अफगानिस्तान से और कुछ सिंध प्रांत से ऐसा हुआ। वह वहां की लोकल राजनीति हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह की बातें हुई हैं। आज स्थिति यह है कि वहां के जो मद्रसे हैं, वहां के मद्रसों के पाठसकूमों में हिन्दुओं के खिलाफ नफरत, इबादत लिखे और पढ़ाए जाते हैं। आज स्थिति यह है कि वहां जो लोग हैं, वे अपने को एक तरीके से गुलाम जैसा महसूस करते हैं, यह स्थिति है। इसलिए गृह राज्यमंत्री जी, इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और इसको बड़े जोरदार तरीके से रक्खिएगा, जब जवाब दीजिएगा। आज भी उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, अपने को वे इज्जतदार महसूस नहीं करते और हमेशा बहुत दहशतगर्दी में वे अपनी जिंदगी वहां व्यतीत कर रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जी, जहां तक मुझे आंकड़े मालूम हैं, करीब पांच हजार परिवार आज भी भारतवर्ष में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वे आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से धीरे-धीरे, चाहे 50, 100, 150, 200, 250 के करीब आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, क्योंकि, वे वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। वे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सार्क देशों का जब सम्मेलन हो तो वहां वे इस बात को बड़े जोरदार तरीके से रखें। अभी इसी पीठ से मानवाधिकार की बात कही गई, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनावे के लिए अभी दो-तीन दिन पहले यहां पर तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। कम से कम प्रधानमंत्री जी का और भारतवर्ष के जो विदेश मंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनको चाहिए कि उनके राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनसे बात करें कि इस प्रकार का जीवन वे वहां व्यतीत कर रहे हैं। भारतवर्ष के गृह सचिव श्री आर.के. सिंह का भी बयान मैंने पढ़ा, इसलिए आपके माध्यम से अपने दल की तरफ से भी मैं पुरजोर तरीके से यह मांग करता हूं, कि इसको गंभीरता से लें और जो लोग यहां पर हैं, वे अगर नागरिकता चाहते हैं तो उनको भारत सरकार नागरिकता दे और राज्य सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, उनको मुहैया करानी चाहिए और उनको पुनर्वासित करना चाहिए, यह मैं जोरदार तरीके से मांग करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Thank you, hon. Chairman, for permitting me to speak on this important subject.

Sir, I fully support the Resolution moved by our hon. Friend, Shri Arjun Meghwal, that people who are living in this country for quite a number of years should be naturalized and made citizens of this country.

Sir, as far as Pakistan is concerned, not all the people living in that area called Pakistan wanted separation. They might have liked to live as Indians, but it has happened and the country has become not a secular country like ours. It has become an Islamic Republic, a religious Republic, which means the minorities may not have their full rights. The Hindus, the Jains, the Sikhs, the Buddhists and the Christians may not have a say in the affairs. They might feel difficulty in practising their own religion; they might feel difficulty to have their own culture intact; and they want to come to India where they can have their own culture intact and practise their own religion.

The question is whether all Hindus can migrate to India. Maybe, there are strict rules not allowing migration from various other countries, but those people who are here in this country living for the past 30 years, 40 years, or even 50 years in some places, can be given citizenship.

The migration is of two types – one is illegal migration, and the other is 'refugees' allowed by the country; the country had accepted them and given asylum.

In Tamil Nadu, the Sri Lankan Tamils have come to India as refugees and they are living in the country for a little less than 30 years, that is, from 1983-84. I cannot call them as 'living' here. They are surviving; they are given some subsistence. Their children who now would be about 20 years of age or 22 years of age were not given proper or higher education. They live as refugees and they have their subsistence allowance given by the Government. They are made to live in the Camps without any rights, and their future generations have no good future.

That is the condition of the refugees there. All I request is that the Government should ask them if anybody wants to become a citizen of India or they leave it to their choice. We need not make all of them as citizens. Let us leave it to their choice. Let us ask them as to whether they want to become citizens of this country. If they apply for citizenship, then we can give them the citizenship.

Sir, one more thing in this regard which I would like to tell is that there is a UN Protocol in which about 125 countries have already signed but India is not a signatory to that protocol. I do not know why India is not a signatory to that protocol. India should also be a signatory to the protocol so that many of the issues can be resolved in a way which is acceptable to the world community. We must do something proactive to see that such problems are settled.

Sir, in the US or in the Western countries, an immigrant after 7 or 8 years can naturally become a citizen. But here, they lived as refugees for thirty years. They lived as illegal immigrants but still they are not given citizenship. They find it difficult. It is not difficult for those people who had actually migrated to this country but their wards, their children will suffer. They do not have a proper education. They may not have a proper employment in the future. So, we must protect the innocent wards of those people who had immigrated to this country 30 or 40 years back. So, the Government should look into all these things. With these words, I request the Government to immediately look into the affairs of the immigrants particularly, the Sri Lankan Tamils who are living in Tamil Nadu.

With these words, I fully endorse the views expressed by our hon. friend Shri Arjun Meghwal and other colleagues.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I stand here to participate in the discussion on the Motion that has been moved by my



friend Shri Arjun Meghwal. I would first refer to a news item which was published very recently relating to 300 Pak- Hindus who sought Rajasthan Government's help to get Indian citizenship. And there are a whole lot of issues that is mentioned here. The basic question that is put forth is that their cases are with the Union Home Ministry in order to get them Indian citizenship. Here I am reminded of another news item and I quote:

"Hindus are a weak segment in Pakistan. Hence they become an easy target for religious bigots."

It was said by Shri Ramesh Kumar Vankwani, the Patron-in-Chief and founder of Karachi based Pakistan Hindu Council, a registered society of Hindus of Pakistan:

"Mostly young hindu woman are abducted and converted. We have petitioned in the Supreme Court of Pakistan against forced conversion."

Another right-minded person Mr. Iqbal Hyder, a former federal Minister for Law and Justice, Information, Human Rights and Parliamentary Affairs echoes his views. Mr. Hyder currently practices law and is a prominent human rights activist based in Karachi. Pointing out that social and economic security was at its worst in Pakistan, Mr. Hyder has said:

"Whoever gets a chance to flee irrespective of religion and destination is leaving. The minorities have been suffering more. A few years ago, the Christians were persecuted. I have dealt with their cases. The Sikhs were attacked 3 - 4 years back. Now, it is mainly the Hindus. In 2012 alone, more than 45 cases have been reported so far. "

This is the version what I gathered from Pakistan.

Now, I come to the Motion which Shri Meghwal has moved. He mentioned that there are three basic issues that are entwined in this Resolution.

The first is, persons migrated from Pakistan to India; second is, settled in various parts of the country; and third, I would divide it into two parts (a) and (b), that is, to take immediate steps to grant them citizenship and (b) is to formulate a time bound action plan to extend them facilities as are available to other citizens of the country. My only amendment to this provision is this. Instead of insisting on citizenship, my request to Shri Meghwal, the Mover of this Resolution, is to make it for resident of this country. When I conclude this discussion, I would come to that aspect as to why I would insist on resident of this country and not citizen of this country. If they get citizenship, that is well and good. But, if they are to get other facilities that are being provided to many, then, resident-ship is necessary.

Incidents of persecution and intimidation of the minority communities not only Hindus but the Christians and the Sikhs also, are being reported time and again from Pakistan. It is the responsibility of the Government of Pakistan to discharge its constitutional obligations towards its citizens including those from the minority communities. Pakistani nationals belonging to minority communities including Hindus have come to India on valid visas and have not gone back to Pakistan on the grounds of religious persecution in Pakistan. That is a matter of concern for us and also a matter of concern for the Government of Pakistan.

Yes, it is the responsibility of the Government of Pakistan to discharge its constitutional obligations towards its citizens including those from the minority communities. The Simla Agreement of 1972, which is being repeatedly mentioned between India and Pakistan, specially provides for non-interference in each other's internal affairs. But I would very humbly mention here one thing. When this clause was being included, we had Kashmir in view; Jammu and Kashmir was in view. We had never thought that we would be facing this type of a challenge of migration from Pakistan, especially the minorities from Pakistan. India perhaps never contemplated that the minority Hindus would be driven out of Pakistan. Now the Simla Agreement of 1972 will be repeatedly told to us saying that you do not interfere. Pakistan continues to interfere in our internal affairs and yet we are always citing the Simla Agreement of 1972.

The human rights are being trampled upon there. India cannot be a silent spectator. The Hindus who are migrated to India bring harrowing tales of harassment, violence and death at the hands of Islamists. Forced conversion, abduction and forced marriages of young girls by Islamist group in Pakistan is still going on. The Pakistan Government feels embarrassed when minority Hindus come out of Pakistan and express themselves in public. The trials and tribulations of Pakistani Hindus came to limelight when a 14 year old girl Manisha Kumari was kidnapped, forced to convert to Islam and married off. Earlier this year, Pakistan's Supreme Court heard the case of three women – Rinki, Asha and Lata – who also faced the same fate. Sunil, I would say, "converted" to Islam on TV during Ramadhan.

I am drawing the attention of this House and the Government about the plight of 2000 Sindhi families from Pakistan who are running from pillar to post for the last several decades to get long term visa to stay in India. These families are settled in different parts of the country. Nearly hundred families are settled in Chhattisgarh. Their long term visa applications have been kept pending for want of several documents which these families from Pakistan do not hold. During partition, the countries had signed an agreement and I would refer to that because that precedes 1972. During partition both India and Pakistan had signed an agreement, according to which, people who could cross the border should be entitled to the nationality of that country.

Why are we only turning to Simla Agreement? What does our Constitution say? India's policy on granting asylum is based on two fundamental rights in the Constitution provided by article 21 and article 14. I need not read out what these articles say. These articles give any resident in India the right to life, equality and justice. Do we have an asylum policy? That is being always asked. I would say the Constitution provides that authority that any resident enjoys the rights provided by article 21 and article 14.

India does not generally turn away asylum seekers. By and large India does not send back people fleeing persecution. Many many years ago, I would say more than 1500 years ago, people who were persecuted because of their religious beliefs were embraced in our country. People who were persecuted because of their religious beliefs 2100 years ago in Middle East were also embraced, and Kerala coast had embraced them with open arms.

Very recently, say 60 years back, when religious persecution was being conducted in and around the subcontinent, India embraced those people. Even today, Rohingyas from Myanmar is an issue for us. Sri Lankan Tamils is an issue for us. Bangladeshi tribals, especially the Buddhists, are being persecuted and it is an issue for us. Whoever is being persecuted because of their faith and because of their religion, India has accepted them with open arms.

My earnest appeal to the Government is that we should not play with these words of asylum seekers and refugees. We should accept them and treat them as human beings. This needs to be tackled by both External Affairs Ministry and the Home Ministry through respective State Governments.

During the Partition of 1947-48, a large number of people had migrated to our country. They were settled in different parts of our country. Dandakaranya Project, I think the Home Minister is aware of how Dandakaranya Project came up. Even today large number of people get elected from there to the State Assembly, if not to the Parliament, because that is a reserved Constituency.

Applications of displaced Hindus from Pakistan were processed to grant them citizenship. This was done last in 2004 when NDA Government was in power. Thousands of such migrant Hindus were able to get Indian citizenship in one stroke. But still, lakhs of Hindus are yet to get citizenship. Why are they being asked to pay between Rs.3,000 to Rs.20,000 as fee? I think that needs to be corrected. I think the Government can do that. This should be reviewed.

Citizenship has certain conditionalities. A person has to be born here and he has to ask for citizenship to get citizenship. However, a 'resident' as is being defined by the Aadhaar Card or the Unique Identity Card system I think would be more appropriate here. I think we should not fiddle with these two words - asylum seekers and refugees.

**डॉ. बलीराम (लालगंज):** सभापति महोदय, आपने मुझे अति संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सचमुच में हमारे जो भारतीय प्लासी पाकिस्तान में हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1952 में पहली सरकार बनी थी। ऐसे शरणार्थियों के लिए अलग से रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई गई थी कि ऐसे शरणार्थियों को बसाया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, उन्हें लोन दिया जाए। आज दिल्ली जैसे शहर में आप देखिए, चाहे मॉडल टाउन हो चाहे आजाद पुर हो या कर्नाट प्लेस हो, वहां सारे रिफ्यूजी रहे जिन्हें सरकार ने बसाने का काम किया। भारत देश वैसे ही इतना संवेदनशील है कि लोगों को जब भी इस तरह पीड़ा महसूस हुई चाहे बंगलादेश, तिब्बत या तमेलियन्स का मामला रहा हो, भारत ने

सामने खड़े होकर उसकी आजादी की लड़ाई लड़ी है, उन्हें इंसाफ देने का काम किया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहां बौद्ध प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस तरह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।

इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि ऐसे भारतीय जो यहां रहना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ नागरिकता ही न दी जाए बल्कि पूरी तरह बसाया जाए। उन्हें जीवन जीने के लिए योजनाएं जैसे उद्योग या कृषि व्यवसाय की सुविधाएं देनी चाहिए। हमारे देश के गांवों में रहने वाले लोगों के साथ भी बदसलूकी, जुल्म ज्यादाती होती है। वे अपने घर बार छोड़कर बड़े-बड़े महानगरों के गंदे नालों के किनारे, रेल की पटरियों के आसपास झुग्गी-झोंपड़ी डालकर रहते हैं। सरकार उन्हें बसाने के बजाए उजाड़ने का काम करती है। यह न न्याय संगत है और न ही अच्छा है। उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में लड़कियों के साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है, कैसे अपहरण हो रहा है, कैसे उनकी शादियां करवाई जा रही हैं, यह सब जानते हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं यहां भी ये घटनाएं बड़े पैमाने पर घट रही हैं। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए? आज तमाम गरीब तबके की लड़कियों का अपहरण हो रहा है। उन्हें विदेश भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए सरकार को इस बारे में पूरा संज्ञान लेना चाहिए। लोग दूसरे प्रान्तों से आकर दिल्ली, मुंबई में बसे हैं। अनुसूचित जाति के लोग पचास साल से बसे हैं, लेकिन जब उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है तो कहा जाता है कि आपको यहां से जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। वे सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से यह भी आग्रह करेंगे कि इस तरह की समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए।

मैं मेघवाल जी के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। हर जगह नियम, कानून बनने चाहिए कि जिस देश में चाहे कहीं का नागरिक हो, अगर उसके साथ जुल्म ज्यादाती, अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो वह बंद होना चाहिए। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री हुवमदेव नारायण यादव (मधुबनी):** महोदय, पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन मेघवाल जी ने बड़े मार्मिक, और तार्किक ढंग से इसको सदन में रखा है। सुमित्रा जी भी इसके संबंध में बोल रही थीं, उनकी वाणी में भी पीड़ा, तर्क और संवेदना थी। बाकी माननीय सदस्यों ने भी अपनी-अपनी राय रखते हुए बड़े तार्किक ढंग से आपके सामने सदन में रखा है।

मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पहले मैं 3 अप्रैल, 1964 को इसी प्रसंग पर, इसी सदन में डा. राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी चिंतक थे, जिसे दुनिया जानती है, द्वारा कही गयी बात को उद्धरित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:

"हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। हिन्दुस्तान का मुसलमान जाए और पाकिस्तान का हिन्दू जाए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिन्दू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का हिन्दू, चाहे वह कहीं का भी नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना हिन्दुस्तान के हिन्दू या मुसलमान की। यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है। वह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार जीवन की सुरक्षा हमें सबको देनी है।"

यह इसी सदन में 3 अप्रैल, 1964 को महान समाजवादी नेता डा. लोहिया ने कहा था। पृष्ठ यह नहीं है कि वह हिन्दू पाकिस्तान में है या वह दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन मैं कहूंगा कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी देश में हो, अगर उनके ऊपर कोई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का जुल्म हो रहा है, उनकी जान-माल और इज्जत पर अगर खतरा हो रहा है, उनको अपने देश से जबर्दस्ती निष्कासित करने की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां का इंसान, लोग कहते हैं कि वह इंसान जानवर के जैसे रहता है, मैं समझता हूं कि जानवर में उतनी चेतना नहीं है, इसलिए वह उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आदमी बर्दाश्त कैसे कर सकता है। लेकिन जिस इंसान को वैसी स्थिति में जिंदा रहना पड़ता है, वही इंसान समझ सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पीड़ा को क्या जानेगा। हमारे बिहार में कहावत है:

"का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माय।

जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई।"

सभापति महोदय, जिनके सांस्कृतिक अधिकार नहीं रोके जाते हैं, उनको क्या पता होगा। जब कहीं का हिन्दू पूजा करता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, जन्माष्टमी, रामनवमी या दुर्गापूजा करता है, लेकिन जब उसे प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है, तो उसके ऊपर क्या आघात होता है, उसे वही जानता है। मुसलमान ताज़िया बनाते हैं, अगर कहीं उनके ताज़िया को पहलाम के समय रोका जाता है, तो उनके दिल पर क्या बुरा असर पड़ता है, उसे वह मुसलमान ही जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति क्या जानेगा। इसलिए राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार के साथ हमें सांस्कृतिक अधिकार और धार्मिक अधिकार के महत्व को भी समझना चाहिए। अगर इन बातों की चर्चा की जाए, दुर्भाग्यवश उसे सांप्रदायिकता के घेरे में रख दिया जाता है, जो नहीं रखा जाना चाहिए, आखिर वह भी तो नागरिक अधिकार है। धर्म के अनुसार अपनी पूजा करना, संस्कृति के अनुसार अपना अनुष्ठान करना, वह भी पूजा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, लेकिन अगर उनको घड़ी-घंटा और शंख न बजाते दिया जाए और उस समय उनको रोका जाए, तो क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह नागरिक अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार में कहा जाता है कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है। पाकिस्तान के हिन्दुओं के साथ अगर सांस्कृतिक जुल्म हो रहा है, धार्मिक जुल्म हो रहा है, राजनीतिक और आर्थिक जुल्म हो रहे हैं, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, तो भारत की सरकार को दृढ़ता के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए।

मैं कहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो पाकिस्तान की सरकार सुरक्षा दे, अगर न दे तो भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ सभी सम्बन्ध विच्छेद करने चाहिए।

हम किस बात के लिए कहेंगे कि हम अपने कायम रखेंगे, यह क्या छोटी सी बात है, यह छोटी सी बात नहीं है। एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो इतना बड़ा महाभारत हुआ था। कौरव वंश का नाश हुआ था, 56 कोटि यदुवंशियों को कृष्ण ने दांव पर लगा दिया था। एक द्रौपदी के चीर हरण का तो भारत का इतिहास बता रहा है। एक सीता का हरण हुआ था तो लंका को जलाकर राख कर दिया गया था। रावण के आधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था। जहां हमारे घर के अंदर इस तरह के अत्याचार हुए, नारी का उत्पीड़न हुआ, धर्म पर आघात हुआ, संस्कृति पर आघात हुआ, तो अपनी देशी सत्ता के खिलाफ भी विद्रोह किया गया, जो श्रीकृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। अगर परदेशी रावण ने भी हमारी इज्जत पर हमला किया था, तो लंका में जाकर हमला करके उससे बदला चुकाया गया था। यह हमारा इतिहास रहा है, लेकिन आज भारत की सरकार इसे देशी-परदेशी, अंतरराष्ट्रीय मामला बनाकर मौन है, तो मैं समझता हूं कि यह हमारा दासभाव का परिचायक है।

इसी संसद में स्वामिभाव और दासभाव पर बोलते हुए डॉ. लोहिया ने 26 मार्च, 1966 को जो कहा था, वह भी हिन्दुस्तान और दुनिया के लोगों के लिए समझने की बात है :

"समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय और एक स्वामी का समन्वय। पिछले हजार वर्ष के इतिहास से हिन्दुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा है। यह एक दास का समन्वय रहा है। इस सम्बन्ध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता हूं। उनके सबसे जितने भी इतिहासकार हैं, वे सभी यह बात भूल जाते हैं। आज भारत में दो ही इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉ. तारा चंद और दूसरा डॉ. मजूमदार का। ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है, इसे भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी तारीख पर निगाह चली जाती है, लेकिन हम भारत के स्वामिभाव के समन्वय को भूल जाते हैं।"

सभापति महोदय, यह दासभाव और स्वामिभाव का समन्वय क्या है। आपकी भी संस्कृति है, मेरी भी संस्कृति है। मेरी भी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, मान्यता है, परम्परा है, मर्यादा है। हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई यह है। किसी दूसरी संस्कृति की भी यह और धारा है। स्वामिभाव है जैसे बराबरी में बैठकर हमारी अच्छाई को वह ले, उसकी अच्छाई को हम ग्रहण करें, बराबरी से समन्वय होगा, वह स्वामिभाव का समन्वय है। अगर सिर झुका कर समन्वय होता है कि तुम्हारे लिए चलो शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सद्भावना के लिए मैं अपना सिर झुका कर तुम्हारे साथ समन्वय करता हूं, तो यह दासभाव का समन्वय है। इसी का उदाहरण देते हुए डॉ. लोहिया ने कहा था -

"स्वामिभाव का समन्वय भारत के इतिहास में है। जब सिकन्दर पुरु पर विजय प्राप्त करता है, तो पुरु को बुलाकर पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। भारत का वह पराजित राजा भी कहता है कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार किया जाए। यह स्वामिभाव का समन्वय है और दासभाव का समन्वय है कि सिर झुका कर उसके आगे उसकी राह को मान ले, उसके डर से मत बोलो। किसी तरह समन्वय के नाम पर, शांति के नाम, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, अंतरराष्ट्रीय मामले के नाम पर अगर हमारी जुबान दब जाती है, तो मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय अपमान है और यह राष्ट्रीय कायरता है।"

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर चिन्ता और सोचे।

मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। कभी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के ऐसे मामले आए थे। क्या यह सुधरने वाला है, जो लोग इसे कहते हैं, उस सम्बन्ध में बोलते हुए डॉ. लोहिया ने कहा था -

"हिन्द-पाक का रिश्ता ऐसा है कि हम लोग साधारण दोस्ती की हालत में रह नहीं सकते। या तो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की दुश्मनी होगी या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक देश बनेंगे। एक की भी कई मंजिलें हैं। महासंघ होता, फिर एका होता।"

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कितनी दूर तक हम जाते हैं। समाजवादी नेता डॉ. लोहिया थे। वह कोई सांप्रदायिक नहीं थे, कोई हिन्दुवादी नहीं थे, कोई कट्टरपंथी नहीं थे, वह विश्वविख्यात समाजवादी थे, उदारवादी थे। लेकिन उन्होंने इसी सदन में कहा था कि हमें किस दूरी तक जाना चाहिए समस्या का समाधान करने के लिए। आवश्यकता पड़े तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ते ही रहेंगे। जो कोई इस बात को कहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी, असम्भव है, कभी दोस्ती नहीं होगी। वे लड़ते रहेंगे, दुश्मन बने रहेंगे और या तो दुश्मन होकर लड़ते रहेंगे या फिर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान एक बनेगा तब दुश्मनी खत्म हो सकती है। इस दुश्मनी को खत्म करने का एक रास्ता है कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का एक महासंघ बनाया जाए, जिसे डा. लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964 में संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करके कहा था कि हिन्द-पाक महासंघ बने।

इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए इस सदन और देश से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हिंदू भारत क्यों आये हैं क्योंकि उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गयी लेकिन क्यों? क्या वे इंसान नहीं हैं? अगर वे इंसान हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय होता है तो हिन्दुस्तान की सरकार को क्या करना चाहिए? हिन्दुस्तान की सरकार को किस बात के लिए मौन रहना चाहिए? अगर हिन्दुस्तान की एक इंच भूमि पर पाकिस्तान की पल्टन आक्रमण कर दे, तो हिन्दुस्तान के सारे लोग सारे अस्तित्व को दाव पर लगाकर पूर्णों को हथेली पर ले लेते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में अगर किसी एक बेटे का हरण हो जाए तो उसी चेतना के साथ, उसी बहादुरी और दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए कि या तो अपनी हरकत को रोको, नहीं रोकोगे तो यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसके दुष्परिणाम हिन्दुस्तान में निकलते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं पर अगर ज्यादाती होती है तो हिन्दुस्तान के अंदर कुछ कट्टरपंथी, कुछ बिगड़े दिमाग वाले इस बात को हिंदू-मुस्लिम बनाकर उसकी प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन वह राष्ट्र के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकती है। इसकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान में जब होने लगती है तो आपस में संशय पनपता है, इसलिए भारत की सरकार को चाहिए कि उन आये हुए लोगों को सम्मानजनक स्थान दे, उनको नागरिकता दे, उनकी रोजी-रोटी का प्रबंध करे, वहां जो भी लोग हैं, सीधे ऐलानिया भाषा में कहें कि या तो पाकिस्तान की सरकार उनकी इज्जत, आबरू, जान-माल की हिफाजत करे, या अगर वहां से हिंदू आना चाहें तो हिन्दुस्तान के बार्डर का फाटक खुला हुआ है, हम उनका सम्मान करते हैं, वे आएं और भारत में बसें। लाखों की संख्या में शरणार्थी आते हैं और कहां से कहां तक बस जाते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनके लिए हमारे पास जमीन है, उनके लिए सब कुछ है लेकिन अगर पाकिस्तान से हिंदू आरंभ तो क्या उनके लिए हमारे पास जमीन नहीं होगी? भारत सरकार नहीं दे सकती है तो सरकार हिन्दुस्तान के लोगों से आग्रह करे कि ऐसे लोग जो आते हैं उन्हें बसाने के लिए जमीन दो, रोजगार के लिए दौलत दो, कपड़े दो तो हिन्दुस्तान को लोग घर-घर से अपने पैसे निकाल करके दौलत का ढेर इस दिल्ली में लगा देंगे कि पाकिस्तान से आये हुए हिंदुओं को भूखा मरना नहीं पड़ेगा, अपमान की जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार को संकल्प करना चाहिए और अगर नहीं करती है तो हिन्दुस्तान के नागरिकों से मांग करे। साथ ही पाकिस्तान को रोके कि वह अपनी हरकतों को बंद करे और अगर वह अपनी हरकतों को बंद नहीं करता है तो

उसके साथ सभी आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को तत्काल विच्छेद कर दे। यह भारत के अपने पुरुषार्थ का परिचायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके पुस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग (अनंतनाग):** सर, मैं मिस्टर अर्जुन मेघवाल का ग्रेटफुल हूँ कि वे यह इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन हाउस के सामने लाये हैं। मैंने हर ऑनरेबल मैम्बर के ख्यालात बड़े गौर से सुने क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इश्यू है। मेरे साथी जो वहां से बात कर रहे थे वे ऐसा इंप्रेशन दे रहे थे कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान रहते हैं, उसका नमूना और एजाम्पल पाकिस्तान है। मेरे साथियों ऐसा नहीं है। शायद पाकिस्तान का वजूद मजहब की बुनियाद पर बना था मगर उस वजूद का फिर क्या हुआ? अगर वह वजूद सर्वाइव कर सकता था तो फिर बंगला देश नहीं बनता। इसलिए हमारी जो लीडरशिप थी, उन्होंने जो फैसला किया सेक्यूलर डैमोक्रेटिक कंट्री का, वह ने साबित कर दिया कि वही बेहतर ऑप्शन है। वह थियोक्रेटिक स्टेट ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब आप पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाकर ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस्लाम का एक नमूना है, एक एजाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कायदेआजम अली महोम्मद जिन्ना ने, जब आडवाणी जी ने रिपीट किया था, उन्हें उसकी सजा भी मिली, लेकिन वे जानते थे कि जिन्ना किसका नाम था। जब पाकिस्तान बना, तभी जिन्ना ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी, उसे I want to quote that. He says, and I quote –

"From today onwards, you ceased to be a Muslim, you ceased to be a Hindu, you ceased to be a Sikh, you ceased to be a Christian; not in the sense that you will stop going to mosques, not in the sense that you will stop going to temples, but in the sense that you are all Pakistanis."

महोदय, उन्हें भी एकदम लगा था कि थियोक्रेटिक स्टेट, मजहब के नाम पर मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता है। आप किनकी बात कह रहे हैं? आप कहते हैं कि वहां हिंदू महफूज नहीं है, वहां कौन महफूज है। 14 साल की लड़की, जिस बेचारी ने हकीकत बयान की थी, उसका क्या हुआ। उसके सिर में गोली लगी। वह सरवाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है और वहां से दूसरी चेतावनी आ रही है कि जैसे ही ये ठीक हो जाएगी, हमें बता दो। हम दूसरी गोली मारेंगे। आप किनकी बात कर रहे हो और क्यों अपने आपको उनके साथ इक्वेट कर रहे हो। कोई भी माइनोरिटी हो, माइनोरिटी क्या कोई भी मैजोरिटी हो, इस समय पाकिस्तान सरवाइवल की जंग लड़ रहा है। आप किस देश से मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। जहां एक डैमोक्रेटिक सेक्यूलर कंट्री की रूट्स बनी हैं, एस्टेब्लिश हुआ है, जहां कश्मीर का महबूब बेग भी यहां आ कर बात कर सकता है और डट कर बात कर सकता है और बगैर किसी खौफ और खतरे के बात कर सकता है, आप इस देश का उस देश से मुकाबला कर रहे हैं। भारत सरकार बहुत बड़ी सरकार है। इनका फर्ज बनता है कि इंटरनेशनल फोरम पर टेकअप करे, उनके यहां आने की जरूरत नहीं है। उनकी जो सिक्चोरिटी है, उसे वहां पर एनश्योर करवाए। माइटी गवर्नमेंट आफ इंडिया। पूरी दुनिया में इंडिया ने अपना नाम और सिक्का जमाया है और इस सिक्के का फायदा उठाकर तमाम फोरम को कह दे कि हमारी माइनोरिटीज वहां सेफ नहीं है, उन्हें सेफ किया जाए तो वे क्यों यहां आएंगे। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमें फ्लॉ है और जब भी धर्मनिरपेक्षता पर दाग लगता है, जैसा गुजरात में दाग लगा, उसे धोने के लिए हम जो भी करें, वह साफ नहीं होता है।...(व्यवधान) मैं कश्मीर की भी बात करूंगा।...(व्यवधान) मैंने इनकी बात सुनी है, इन्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं गांधी जी को कोट करूंगा, ये तो शायद उन्हें भी नहीं मानते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर एक-दूसरे को काटा जाता था, तब हमें फ्लॉ है कि गांधी जी ने कहा कि मुझे रोशनी की किरण सिर्फ कश्मीर में नज़र आती है। जब हमने हिंदू-मुस्लिम-सिख इतिहास का परचम शेख महोम्मद अब्दुला की लीडरशिप में खड़ा किया था। हाँ, वर्ष 1989 में हमें दाग लगा, हम अपनी माइनोरिटी कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं सके और उन्हें सेफ्टी और सिक्चोरिटी नहीं दे सके, वह हमारे माथे पर दाग है। आपको हमें ताना देना चाहिए, यह हमारे माथे पर दाग है कि हम उन्हें सिक्चोर और सेफ नहीं कर सके। हम उस दिन का इंतजार करेंगे, जिस दिन हम उन भाइयों और बहनो को वापिस कश्मीर में लाएंगे। हम उस दिन के इंतजार में हैं। यहां मेरे दोस्त मदन लाल शर्मा जी ने...(व्यवधान) मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। I will tell you the background. There is a difference when you talk about Jammu and Kashmir and when you talk about rest of the country. There is a huge difference. They are not telling you that. They are misleading the nation.

Sir, the difference is, we have a State subject in vogue in the State of Jammu and Kashmir and that State subject was not given by a Muslim leadership. It was given by Maharaja Hari Singh. I do not know whether my friends know it or not. It was given by Maharaja Hari Singh and we were made the citizens of the State of Jammu and Kashmir. On whose demand was it done? The Kashmiri Pandits went to Maharaja Hari Singh and said: 'Please save us, our identity is in danger'. They said this because they thought Punjabi Muslims will come and they will finish their identity. So, when you become a citizen of this country, you do not automatically become a State subject of the State of Jammu and Kashmir. They can settle in any part of the country. But in Jammu and Kashmir, only those who live, only those who can vote in the Election to the State Assembly are the State subjects besides being citizens of this great country because the State of Jammu and Kashmir is the only Muslim majority State and we are proud of it.

We had an option to go to Pakistan, we had an option to go to India and our Muslim leader Sheikh Abdullah opted for a secular, democratic India and we did not go to a theocratic State like Pakistan and we are proud of it. But to preserve our identity, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब आप गुजरात के गोरों की बात कर सकते हैं, हम भी कश्मीर के गोरों की बात कर सकते हैं। यही तो इस देश का बड़प्पन है।

But so far as the State of Jammu and Kashmir is concerned, we have signed a document when we forged our relationship with the Union and that document is known as the Delhi Agreement of 1952 and we stick to that. My Party, the Jammu and Kashmir National Conference always says with head held high: 'Please restore that status which has been granted and given to us by the great Constitution of India'.

So, I am grateful to Shri Arjun Ram Meghwal who moved this Resolution in this House which, in fact, gave us an

opportunity to speak on this Resolution. These were the words that I wanted to express.

**चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):** आपकी अनुमति से मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला है। मेघवाल जी आज बहुत अच्छा प्रॉपोज़िशन लेकर आए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं यह कहना चाहूंगा। मैं सबको सुन रहा हूँ और हकीकत में देश और पाकिस्तान में जो लोग सफरर हैं, उनकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे ज्यादा कोई सफरर है तो जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी हैं। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have to inform the House that 2 hours time has been allotted for this Resolution and we have almost exhausted the time allotted. There are 5 more Members to take part in the discussion on this Resolution. Now the House has to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the next Resolution is also very important.

MR. CHAIRMAN : This is not completed yet. We have to complete this first.

So, the time for discussion on this Resolution is extended by one hour.

**चौधरी लाल सिंह :** सर, मैं कहना चाह रहा था कि महाराजा साहब ने मेरे भाई ने बड़ी जबरदस्त दलील दी है और बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है कि महाराजा साहब ने एस्टेट तक छोड़ दी। कह रहे हैं कि दस्तखत तो हमने किये हैं, शेख साहब ने किये हैं, शेख साहब ने सबको बचाया है और मैं यह भी कोट करूंगा कि जब वेस्ट पाकिस्तान से वे लोग चलकर आए तो मैं पूछना चाहूंगा कि हिन्दुओं में ये लोग कौन हैं? एससी और ओबीसी हैं। स्वर्ण कास्ट के तो थोड़े से लोग होंगे। मेजोरिटी में पूरे बीपीएल लोग हैं। उनके रिश्तेदार और बाकी लोग हिन्दुस्तान की बाकी रियासतों में सैटल हो गए। जब वे जम्मू-कश्मीर से गुजर रहे थे तो शेख साहब ने इनको रोका और कहा - आप इधर ही बसिए, पीओके वाले लोग इधर आ रहे हैं, वे हमारी स्टेट के लोग हैं, जो फैसिलिटी उन्हें मिलेगी, वही आपको मिलेगी, जो स्टेट्स उन्हें मिलेगा, वही आपको मिलेगा। ये बेचारे उनके कहने पर रुक गए और 60-65 सालों से आज तक रुके हुए हैं लेकिन उन गरीबों को कोई सहुलियत नहीं मिली है। मेरी सरकार भी रही, इनकी भी सरकार रही। यह स्टेट सैटल का सवाल नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट बन गया तो कौन सा पहाड़ बन गया? आज हम पहाड़ तोड़कर, हिमालय तोड़कर रास्ता बना रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट बन गया लेकिन ये लोग एजस्ट नहीं हो सके। यह क्या है? मैं जम्मू-कश्मीर का आदमी हूँ। मैं जम्मू, उधमपुर, डोडा कांस्टीट्यूंसी का एमपी हूँ। दूसरे एमपी श्री मदन लाल शर्मा हैं। वे भी जम्मू के हैं। दोनों कांस्टीट्यूंसी में लोग सैटल हैं और उनकी कांस्टीट्यूंसी के नहीं हैं। हम उन लोगों को सुबह, शाम और रात को देखते हैं। मैं तैयार हूँ, मेरी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे एतराज़ नहीं है, जम्मू के एमएलए को एतराज़ नहीं है। 20,000 आदमी सैटल हो जाएंगे। किसे तकलीफ है? उनको आइडेंटिफाई करो जो कलपिट हैं। उनके लिए कौन परेशान है? अगर जहाज़ में कोई प्रेग्नेंट लेडी सफर करती है और अगर रास्ते में कहीं बच्चा हो जाए तो जिस देश से तब जहाज़ गुजरता है, बच्चे को उस देश की सिटिजनशिप मिलती है।

महोदय, क्या ये लोग तीन जनरेशन के बाद इस देश के सिटिजन नहीं बनेंगे? क्या कानून में तरमीम नहीं हो सकती है? क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकता है? भारत के संविधान में इतनी तरमीम हुई है तो क्या यह नहीं हो सकता है? किसे परेशानी है, जब हम सब तैयार हैं, रखने वाला तैयार है। जिसने रखना ही नहीं है, वह क्या करेगा? कैसे रखेगा? मैं नहीं मानता कि इसमें हिंदू या मुस्लिम का सवाल है। मैंने पिछले दिनों अपनी कांस्टीट्यूंसी में कट्टा, कठुआ में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की रेसलिंग करवाई। मुझे रोज पाकिस्तान के पहलवानों के फोन आते हैं, हमारी दोस्ती है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ नहीं है। सरकार को तकलीफ है। मैं सबको यह बात सुनाना चाहता हूँ कि लोगों को तकलीफ नहीं है, यह सरकार की क्वाेशन है। पता नहीं क्या वहम है कि इनके रहने से, रुकने से कमजोर आदमी, बीपीएल आदमी रुक जाएगा। क्या कोई छेड़खानी कर जाएगा? क्या कोई प्रूपर्टी छीन लेगा? गरीब को अलॉटमेंट करनी चाहिए क्योंकि वह जमीन पर रह रहा है। उनके बच्चों के पढ़ने का कोई अधिकार यूनिवर्सिटी, कालेज में नहीं था। आज़ाद साहब पिछले दिनों आए, उन्होंने डोमिसाइल बनाया। अगर डोमिसाइल नहीं बनता तो मेरे स्कूल में ये लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जा सकते थे। आज यह स्थिति है।

महोदय, अब एक एतराज़ की बात है कि वह सरपंच नहीं बनेगा, सरपंच को वोट नहीं डालेगा, असेम्बली चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट नहीं डाल सकता लेकिन एमपी को डालेगा। एमपी को वोट डालेगा तो एमपी यहां चुप रहेगा। यहां उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगा। मेघवाल जी के साथ खड़ा नहीं होगा। भला क्यों खड़ा नहीं होगा? आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें, एक तारीख सबको लिखनी है। यह बेवसीतों के साथ, निहत्थों के साथ पाप है, कहर है, जुल्म है। इनके साथ बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। मुझे अफ़सोस है कि आज तक इन लोगों को सैटल नहीं किया गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्हें एक आईएवाई का मकान नहीं मिलता, क्योंकि वह पंचायत में फाल नहीं करता, उसे बीपीएल होने के नाते राशन नहीं मिलता, क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर का नहीं है। वह राशन नहीं खा सकता, उसकी बूढ़ी, बुजुर्ग, विडो मां पेंशन नहीं ले सकती। आप मुझे बतायें कि क्या वह इंसान नहीं है? हम लोग वेस्ट पाकिस्तानी को बैस्ट इंडियन नहीं बना पाये। This is a shame for us and shame for those politicians जिन्होंने आज तक इन्हें सैटल होने नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं है, मेरी सरकार आये, मैं देखूँ कि मैं दूसरी सरकार से जुड़ा हूँ, वह सरकार नाराज़ हो जाए। लेकिन हिन्दुस्तान से बड़ी कोई स्टेट नहीं है। India is our priority. हमारा कंट्री पाकिस्तान को डराने के लिए नहीं है। हमारा कंट्री श्रीलंका और चाइना को डराने के लिए नहीं है। कंट्री हिन्दुस्तान की स्टेट्स को सीधा करने के लिए है और जो स्टेट्स सीधे नहीं चलतीं, उन्हें सीधा चलाना भी इसका काम है। यह नहीं होना चाहिए कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, कोई बात आती है तो कह देते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है। जब पैसे लेने हों, 24 हजार करोड़ रुपये लेने हों तो अच्छा है, आ जाने दो। यहां कोई बिजली के प्रोज़ेक्ट आए तो आ जाएं, लेकिन जो वहां की जमीन को छोड़कर आये, उन्हें यहां आपने सैटल नहीं होने दिया। व्हाट इज दिस नोनसेंस?... (व्यवधान)

**श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):** आप बीजेपी में आ जाओ।

**चौधरी लाल सिंह :** आप खामोश हो जाएं, तुम्हारी बीजेपी क्या है। आपकी बीजेपी की छः साल सरकार थी, तीन बार...(व्यवधान) मैं इन्हें भी सुना दूँ। मैं अपनी तो कह रहा हूँ, अब तुम्हारी वाली भी बता दूँ। तीन बार आपने सरकार बनाई और आपकी बीजेपी ने जितना ड्रामा जम्मू-कश्मीर में किया, दस बार उन्होंने आपको वोट भी डाले। मुझे उनके वोट नहीं मिलते, आप संघियों को मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते, जिनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन यह इंसानी फर्ज है। वे आपको इसलिए वोट देते हैं क्योंकि आप टीका लगाते हैं। मेघवाल जी सुनिये, यह सचाई की बात है, जब आपकी सरकार थी, आप बीमार हो गये और उसके बाद यह 14वीं लोक सभा की बात है, 14वीं लोक सभा में यहां डिप्टी स्पीकर, अटवाल साहब थे। सरकार ने बिल पेश किया, उसने कहा कि जितने लॉज जो एसआरओज बने हैं, किसके लिए बने हैं, वैंस्ट पाकिस्तान के लोग जो हिंदुस्तान में आये, जिन्हें हमने फैसिलिटेट किया, जिन्हें हमने प्रोपर्टीज, स्कूल वगैरह सब कुछ दिया, जिन्हें बिजनेस दिया। आज वे सारे लोग परिपक्व हैं, पूर्ण हैं, आज से वे जितने लॉज बने हैं, हम खत्म करते हैं। मेघवाल साहब, आपको याद होगा मैं 14वीं लोक सभा की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या किसी को बोलना है, मैंने सोचा बीजेपी वाले जरूर करेंगे। लेकिन कोई नहीं उठा। मैंने हाथ खड़ा किया, मैं अकेला व्यक्ति था। अटवाल साहब ने कहा कि आपकी सरकार है, मैंने कहा मैं सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा, जो आप कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ बात करूंगा। उन्होंने कहा बोलिये, मैंने कहा कि पूरे देश में सिवाय जम्मू-कश्मीर के जितने लोग पाकिस्तान से आये, आपने उन्हें सैटल किया, उनके लिए तरह-तरह के कानून बनाये। जो किसान था, उसे जमीन दी, जो व्यापारी था, उसे बिजनेस दिया, स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी। आपने इतने बड़े काम किये, लेकिन आपने जम्मू-कश्मीर के वैंस्ट पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया। वह बोले कैसे? मैंने कहा कि आप बताइये कि जब वहां धारा 370 लगी तो आपको भी देखना चाहिए था, वे हिंदुस्तान आये थे, उन्हें पता नहीं था कि वे हिंदुस्तान नहीं आये उन्हें तीसरी जनरेशन में पता लगा कि मैं हिंदुस्तान पहुंचा ही नहीं, अगर हिंदुस्तान पहुंचा होता तो हिंदुस्तानी सिटीजनशिप उस व्यक्ति को आज तक क्यों नहीं मिल पाई? मैं जम्मू-कश्मीर का आदमी, वहां का किसान, वहां का जमींदार, वहां का लीडर, यदि मैं इंजवाय कर रहा हूँ तो मेरा वह आदमी जो मेरे पास चलकर आया है, वह इंजवाय न करें, वह धक्के खाता रहे, यह कहां का इंसाफ है।

मेरी आपसे विनती है कि जो मुस्लिम लोग हमारे इलाकों में रहे, हमारे बुजुर्गों ने उन्हें संभाला, बचाया, यह बात नहीं है कि मुस्लिमस ने हिन्दू बचाये, हिन्दुओं ने भी मुस्लिमस बचाये। हमारे बुजुर्गों ने बचाये। जो चाहता था कि मैं हिंदुस्तान में रहूँ, जिसे हिंदुस्तान से प्यार था, वह मुस्लिम यहां रहा। वह इसी हिंदुस्तान में रहा और रहेगा। आपको तकलीफ हो रही होगी कि दो ऑर्गनाइजेशंस जो सन् 1947 बनीं, जिनका आज तक बेइगर्क हो रहा है, उनमें एक सन् 1919 बनीं मुस्लिम लीग थी और दूसरी आरएसएस थी। इन दोनों ऑर्गनाइजेशंस ने इस देश की धजियां उड़ाई हैं। जो मुस्लिम यहां रहा, उसको तंग किया और जो हिंदू वहां रहा, उसको भी तंग किया और आज तक लड़ाई लगी हुई है।

मैं कहना चाहूंगा कि जो भी संस्था धर्म से पॉलिटिक्स करती हो, उसका गला दबा देना चाहिए, वह चाहे जो मर्जी पार्टी हो। जो पार्टी देश के हित में नहीं है, जो देश में रीजनलिज्म फैलाती है, उस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस देश के कंस्टिट्यूशन के नीचे रहे।

मेरी अगली बात यह है कि हमारे बंदे, जो पाक ऑक्जुपाइड जम्मू कश्मीर के हैं, जो हमारे लोग थे, किसने वह जमीन छोड़ दी? जमीन छोड़ने के बाद जो लोग आए, आज तक उनका भी प्रोपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। आज भी उनका पूरा इंताजाम नहीं है। वे जरूर जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वे आज भी उनसे वंचित हैं। चाहे शाहमजोरि के हों, चाहे पीओके के हों, चाहे सन् 1971 के हों, चाहे सन् 1965 के हों, चाहे सन् 1972 के हों या सन् 1947 के हों आज भी वे लोग डिप्रैड्ड हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया अगर दम रखती है, चाहे जिसकी मर्जी सरकार हो, एक-एक डिस्मिज़न सरव्ती से लेना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि इन लोगों को रखना पड़ेगा नहीं तो लखनपुर कौंस करे और माधवगढ़ ले जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने में बसाओ। लेकिन उसको वहां जलील मत कीजिए। यह नहीं हो सकता है तो मैं आपको यह भी बता रहा हूँ। वाधवा कमीशन बना, अय्याज़ साहब आए, अय्याज़ साहब को दिल्ली में रह कर और हिंदुस्तान में रह कर सारी समझ थी कि किसके साथ क्या है। उन्होंने यहां आ कर, वहां बैठ कर एक कमीशन बनाया। उस कमीशन की रिपोर्ट बनी तो हमारी सरकार अलायंस में पहुंची। अय्याज़ साहब चले गए और वाधवा कमीशन की फाइल वहां पेंडिंग पड़ी है। वह क्यों हल नहीं होती है? Mr. Home Minister, you call for the file; you find out the report and solve the problems of the concerned people.

जनाब से मेरी विनती है कि आप कृपा कर के इन सारे लोगों को बचाईए। अगर आप नहीं बचाओगे तो आप इस पाप के भागीदार बनोगे। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

**SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR):** Mr. Chairman, Sir, I am grateful to Shri Arjun Ram Meghwal ji for the Resolution that he moved for the formulation of an Action Plan to rehabilitate the persons displaced from Pakistan.

Sir, Pakistan was formed on the basis of two-nation theory. Unfortunately, Muslims under the leadership of the Muslim League wanted Pakistan and they got Pakistan, and the remaining persons remained in Hindustan or Bharatvarsh. Due to civil disturbance in Pakistan after the formation of Pakistan when Pakistan became a theocratic State, Hindus or the people belonging to other minority communities living in Pakistan were unable to stay there because of civil disturbance and they had to come over to India and took shelter. And naturally they became the refugees in that sense as they could not stay in Pakistan. Pakistan did not allow them to stay there. That is why they took shelter; and naturally so, they are refugees. Refugees were to be given shelter, rehabilitation and also citizenship observing all formalities. Unfortunately, we see that many refugees, who came over to India, did not get citizenship. They tried but failed. So, because of different causes, they were not given citizenship. It is said that they are foreigners and they are being disturbed continuously.

As per the Resolution of the UNO, the persons who are compelled to leave a State because of civil disturbance and take shelter in another State, are treated as refugees; and they are to be given all the facilities and necessary things as

refugees. But this is not being done in many cases in India. I can particularly say so in the cases of Assam. You will be astonished to know that the people coming from East Pakistan, who are now living in Assam, particularly, have been suffering a lot.

I would give you some examples. There is no provision and/or definition of 'D' voter in any law of the country. Even there is no constitutional provision for making 'D' voters. 'D' voters means Doubtful voters. There is no provision in the Constitution. In any other State, this problem is not there. But in case of Assam, the matter of D' voters has been introduced/embodyed in the Electoral Roll of Assam with effect from 1<sup>st</sup> January, 1997, *vide* Election Commission of India Circular No. 23/AS/96 dated 17<sup>th</sup> July, 1997. The term 'D' voter connotes Doubtful voters whose voting rights have been withheld. It is so unfortunate that there are more than 2 lakh people, who have been made 'D' voters and their voting rights have been withheld.

This 'D' voter problem has been introduced by the above-mentioned Circular of the Election Commission of India in respect of the State of Assam only like IM (DT) Act, 1983. This provision or the introduction of 'D' voters has not been found in any other State/ Union Territory in the Union of India.

So, this problem of 'D' voters/doubtful voters will also be found not only in Assam but also in other international bordering/neighbouring States of Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujarat, West Bengal, Tripura, etc. There are also problems. There are also such doubtful voters. But this provision of 'D' voters is not present anywhere and no such Circular has issued by the Election Commission there. As such, it is a discriminating step taken by the Election Commission of India without any legal or constitutional background.

That is why I wanted to say that this Circular issued by the Election Commission cannot be held valid in case of only one State. There are 'D' voters in many States, but nowhere this Circular is given excepting Assam.

Regarding this, I can say one thing. The problem of 'D' voters has been dealt with for the last few years. You will be astonished to know that several lakhs of people have been made 'D' voters after this Circular of the Election Commission. All the District Commissioners of Assam were asked to go to the people, see their identities and ascertain whether their names are there in the voter list are not. They sent police personnel and others. They went and thus, they sought the information but wherever they did not find the persons or the persons who were absent, all those persons were made 'D' voters and they have been suffering. These things have been going on. Unfortunately, you will be astonished to know that there were many writ petitions in the Guwahati High Court and one hon. Judge, Mr. B.K. Sharma gave a verdict. According to the verdict, he declared that those persons, who are 'D' voters, have to be kept in detention camps. Many of them are in the detention camps also. There is no facility. Nothing is given there. This is the position of the refugees. In this situation, I want to say that these 'D' voters, who are there in Assam, should be totally abolished and the refugees should be given opportunity to become the citizens of this country or they should get the citizenship right; they should be made the real citizens; and there should not be any harassment to them.

**श्री श्रीफुदीन शारिक (बारामुला):** जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी दो मिनट बोलने का समय दिया। मैं मेघवाल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक गंभीर मामले की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाई है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।

पाकिस्तान में हमारे हिन्दू भाई और बहनें जिनके बारे में प्रेस में और मीडिया में बहुत रिपोर्ट आती हैं कि उन पर बड़े मज़ालिम ढहाए जा रहे हैं, उनके इबादतगारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके बच्चे-बच्चियों को डराया जा रहा है। मैं दिल से अपनी जमात की तरफ से, अपनी तरफ से, जम्मू-कश्मीर के अवाम की तरफ से इसकी ज़बर्दस्त मज़मूमत करता हूँ और वाज़ह करता हूँ कि यह गैर-इस्लामी है, गैर-इंसानी है और ऐसी हरकतें शैतानी हरकतें हैं। इनको हरेक मज़मूमत करेगा।

हमारे सिक्खार मुल्क में या हमारे मज़हब में ऐसी किसी बात की गुंजाइश हो ही नहीं सकती और अगर किसी मज़हब में ऐसी गुंजाइश है कि वह दूसरे मज़हब को या दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखने वाले को बरबाद करे, उसे नुकसान पहुँचाए तो मैं समझता हूँ कि वह मज़हब ही खराब है, वह मज़हब ही बुरा है। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने दुखी आप हैं, हम भी इसमें दुखी हैं। इसमें हिन्दू का सवाल नहीं है, न मुसलमान का सवाल है। यह इंसान का सवाल है, यह बनी-आदम का सवाल है, यह भगवान के बंदे का सवाल है। बशीर बद्र ने एक शेर कहा था -

"हिन्दू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में

इंसान परेशान है, यहाँ भी और वहाँ भी। "

हम इसकी मज़मूमत करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे इकदाम करे डिप्लोमैटिक लैवल पर कि उन लोगों को तहाफुज़ का अहसास हो। यहाँ कई भाइयों ने बात करते करते कहा कि वे हमारे लोग हैं। वे हमारे लोग नहीं हैं। वे पाकिस्तानी हैं और उनको पूरा हक है पाकिस्तान में इज़्जत वाली ज़िन्दगी रहने का। उनको वहाँ कोई निकाल नहीं सकता। अगर वहाँ के हिन्दू को नुकसान पहुँचता है तो वह पाकिस्तान का बराह रास्त नुकसान है। पाकिस्तान की स्टेट हिल जाएगी



अगर वहाँ के सिटिज़न को नुकसान पहुँचता है और \*...

जनाब, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भगवान सलामत रखे और उनको सेहत दे। जब बाबरी मस्जिद का इनहिदाम हुआ था, बाबरी मस्जिद डिमॉलिश की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे सिर शर्मिन्दगी से शर्मसार हैं। मैं भी महसूस करता हूँ कि जो वहाँ हो रहा है, उससे हमारे सिर वाकसी शर्मसार हैं। और होने भी चाहिए। यह हमारी एकता है, यही चीज़ है हमारी। यही जुल्म अगर गुजरात में मुसलमानों पर हुआ तो उस पर भी रिजॉल्यूशन आना चाहिए था। अगर यही जुल्म असम में मुसलमानों पर हुआ तो यही रिजॉल्यूशन आना चाहिए था, इसी जोर से तकरीर होनी चाहिए थी। इसी से हमको यह अहसास दिलाना है कि इस मुल्क में हिन्दू-मुसलमान-सिख सब एक हैं। और हम सब के एक होने से ही यह मुल्क मज़बूत है, पायदार है। जहाँ हम इस मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, वहाँ हम इस मुल्क के हर शहरी की हिफ़ाज़त के लिए भी जान देने के लिए तैयार होने चाहिए। मेरी आपसे गुज़ारिश है, जैसा कि मेरे भाई लाल सिंह साहब ने फ़रमाया, महाराजा साहब के ज़माने में जो कश्मीर हमारा था, जिस आधे पर आज दूसरे का कब्ज़ा है, वहाँ से जो हिन्दू भाई ख़ौफ़ से वापस आए हैं, मैं सरकार से गुज़ारिश करूँगा कि उनको पूरा स्टेट सब्जैक्ट का हक़ देना चाहिए और ज़िंदगी के हर मसमज़े में उनको पूरा शरीक बनाना चाहिए। हम इसी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि ग़ैर रियासती भाषण देते हैं, जो उस वक्त मुताहिदा थे क्योंकि वह महाराजा साहब की स्टेट सब्जैक्ट के आर्डर के नफूज़ के बाद आए थे, इसलिए उसमें उलझने थीं। सरकारों को बैठकर इन उलझनों को दूर करना चाहिए। इबादतग़ाहों की हिफ़ाज़त करना। वहाँ की इबादतग़ाहें चाहे वह हिन्दू की हैं, चाहे किश्थियन्स की हैं, चाहे सिक्ख की हैं, हुकूमत-ए-पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि हर रियासत का, हर रियासत की सरकार का फ़र्ज़ होता है और अगर अपने फ़र्ज़ में वह कमज़ोरी दिखाएँगे, लेकिन इस वक्त जो उनकी हालत है, हमें तरस आता है, वह डगमगा रहे हैं। आपको हुकूमत दिखती है, वह तमाशा दिखता है, अंदर से कोई और उस हुकूमत को चलाता है।

हमें अफ़सोस है कि पाकिस्तान को उन लोगों ने खुद ही सेंटल होने नहीं दिया, इस्टैब्लिश होने नहीं दिया, वरना आज शायद यह मसाइल उनके न थे और मुझे अफ़सोस है कि उनके मसाइल इतने ज्यादा हैं और इस वक्त जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आपस में दोस्ती की बात करते हैं तो उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐसी कोई बात जो हमारे हिन्दुस्तान के जज्बात को ठेस पहुँचाए ऐसी कोई बात वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं जनाबे होम मिनिस्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वहाँ के होम मिनिस्टर रहमान मलिक साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, आप सरख्ती के साथ उनके सामने यह मामला रखिए और उनसे गारण्टी ले लीजिए कि वहाँ के हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और जो अखिलयतें खुसूसन वहाँ हैं उनको पुर बाइजज़त ज़िंदगी मिलनी चाहिए, पुर वक़ार ज़िंदगी मिलनी चाहिए।

यदि यह वाकई लड़कियों के अग़वा की बात है तो यह क़ाबिले शर्म है। बहैसियत मुसलमान मुझे इस बात से नफ़रत है क्योंकि मेरा दीन, मेरा मज़हब इस बात की इज़ाज़त नहीं देता। मैं यह समझता हूँ और मुझे यह सिखाया गया है कि हिन्दू की लड़की मेरे सामने आए तो मुझे अपनी बेटी का चेहरा उसमें नज़र आता है। यही होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो फिर मेरी मुसलमानी में कोई कमी है, फिर मेरे इस्लाम में कोई कमी है, मेरे मज़हब समझने में मेरी कोई कमी है। मैं इसीलिए यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जज़बातों में कुछ बात ज्यादा हो जाती है। किसी ने कहा कि तब तक मसला-ए-कश्मीर हल नहीं होगा जब तक हिन्दुस्तान-पाकिस्तान नहीं मिलेंगे। यह दीवानों के ख़वाब हैं। उस वक्त की फ़िरकापरस्त ऐलीमेंट ने मुल्क को तबाह कर दिया, वरना सारा मुल्क इकट्ठा आना चाहता था इधर से भी और उधर से भी। फ़िरकापरस्ती चाहे वह मुस्लिम की हो या ग़ैर मुस्लिम की हो। फ़िरकापरस्ती एक नासूर बना और उसने हम से हमारा आधा मुल्क छीन लिया और जितनी देर कहीं भी यह चीज़ ज़िंदा रहेगी महात्मा गांधी को कत्ल होना ही पड़ेगा। अगर फ़िरकापरस्ती रही तो हर महात्मा गांधी को कत्ल होना पड़ेगा, लिहाज़ा सारे हिन्दुस्तान को इकट्ठे होकर, मुस्लिम, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, पारसी और जो भी हैं, इकट्ठे होकर इस बिहत का मुकाबला करना चाहिए ताकि हमारा देश महफूज़ रहे, ताकि हमारे लोग खुशहाल रहें, ताकि यहाँ मज़हबी यग़ानगत हो ताकि हम सारे मिल कर कहे- सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।

**श्री राजेन्द्र अग़वाल (मेरठ):** सभापति महोदय, काफी देर से इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और मैं सबसे पहले अपने सहयोगी अर्जुन मेघवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय के ऊपर यह प्रस्ताव रखा।

महोदय, मुझे प्रारम्भ में यह बात कहनी है कि इस विषय के ऊपर ठीक से समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि उसको पहचाना ही नहीं गया है। जो बात कही जाती है, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं और जो बात हो रही है, हम उनको अनदेखा कर रहे हैं। यह कोई आज की बात नहीं है। आज यह विषय उठा है और यह कोई वर्ष 2012 या 2011 की बात नहीं है। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, तभी से ऐसा लगता है और इस बात के प्रमाण हैं, इस बात के किस्से हैं, इस तरह की घटनाएँ हैं, इन बातों का सभी ने उल्लेख किया है।

अभी हमारे माननीय हुक्मदेव नारायण बाबू बोल रहे थे कि लोहिया जी ने उसका उल्लेख किया है। यह पुरानी बात है। यह वर्ष 1960 की, वर्ष 1964 की बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो हो रहा है, जो होता रहा है, उसे हम अनदेखा करते रहे और जो कहा जा रहा है, उस पर हम भरोसा करते रहे। यह बात ठीक है कि ज़िन्ना साहब ने एक बात कही थी। परन्तु, पाकिस्तान ज़िन्ना साहब के कहे अनुसार नहीं चला। आज भी जब पाकिस्तान का कोई राजनयिक, राजनेता यूएनओ के अन्दर जाता है तो वह आज भी यह बात कहता है कि पाकिस्तान के अन्दर मानव अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। आज भी वह यह दावा करता है। परन्तु, हम उनकी बात पर भरोसा करें या जो असलियत है, उसे देखें। आज हालात यह हैं कि पाकिस्तान बनते समय वहाँ हिन्दुओं की जनसंख्या जो लगभग अठारह प्रतिशत थी, वह आज दो प्रतिशत से भी कम है। यह क्यों हुई, कैसे हुई? यह काम शुरू से चला आ रहा है। इसलिए मैं सबसे पहली बात तो यह कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को ठीक से समझने की ज़रूरत है। वहाँ जो हो रहा है, उसको देखें और जो कहा जा रहा है, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है।

महोदय, अभी मैं कुछ कोट करना चाहूँगा। पाकिस्तान में एक है Sustainable Development Policy Institute है। इसने पाकिस्तान के तौर-तरीकों के बारे में एक रिपोर्ट दी है। इसे मैं थोड़ा-सा पढ़ रहा हूँ-

"Four primary themes that emerge most strongly as constituting the bulk of the curricula and textbooks are that Pakistan is for Muslims alone; Islamiat is to be forcibly taught to all the students, whatever their faith, including compulsory reading of Quran; the ideology of Pakistan is to be internalised as faith, and hate be

created against Hindus and India; and students are to be urged to take the path of Jihad and Shahadat."

मैं पाकिस्तान की एक संस्था एस.डी.पी.आई. को कोट कर रहा हूँ जिसने यह निष्कर्ष निकाला। ...(व्यवधान) यह बिल्कुल शर्म की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो कहा गया है, पाकिस्तान के अंदर ठीक उसी तरह का व्यवहार है, उससे अलग नहीं है। मैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका जिक्र हुआ, उनकी बात नहीं करना चाहता जिस प्रकार से फैसले के अंदर उन लड़कियों के विषय में व्यवहार हुआ। मैं दोबारा एक कोट करना चाहूंगा। अभी रहमान मलिक साहब का जिक्र हो रहा है, वे आने वाले हैं। इसी के विषय में एक हुमा युसूफ हैं, जो वहां पर डॉन के एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उन्होंने एक बात लिखी है, यह 13 अगस्त, 2012 को लिखी हुई बात है -

"In the matter of Pakistan's treatment of its religious minorities, each week brings new shame. The latest is Interior Minister Rehman Malik's reaction on hearing a media report that several Hindu families from Jacobabad had chosen to emigrate to India to escape persecution: he termed the migration a "conspiracy" to defame Pakistan, ordered the FIA to investigate the situation before the travellers could be allowed to cross the border; and asked the Indian High Commission to explain why it issued visas to 250 Hindu citizens of Pakistan."

उन्हें शर्म नहीं आयी, उन्होंने इसे षडयंत्र माना। यह जो प्रतिक्रिया है, यह वहां के मिजाज को बताती है। इसलिए जो बात मैंने प्रारंभ में कही, मैं उसे फिर दुहराना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार पाकिस्तान द्वारा कही हुई बातों पर भरोसा न करे, बल्कि इस बात को देखे कि पाकिस्तान के अंदर हिन्दुओं की स्थिति क्या है। वर्ष 1950 में नेहरू-लियाकत के बीच समझौता हुआ था। हमें भरोसा दिया था कि जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित रहेंगे वैसे हिन्दू वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन, उस भरोसे का क्या हुआ? उस भरोसे पर एतबार करने वाले लोग आज पूरी तरह से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर प्रकार से वहां कष्ट में हैं। यूएनओ का जो मानवाधिकार का चार्टर है, उसका बराबर उल्लंघन होता है, उसका पालन नहीं होता है। लेकिन हम उन्हें क्यों जिम्मेदार ठहराएं? हमारी खुद की सरकार की ऐसी स्थिति है, जिसका यहां पर बार-बार उल्लेख किया गया है कि हमने अभी तक उन्हें न्याय देने की कोशिश नहीं की। यह हमारी जिम्मेदारी है। वे हमारे भरोसे पर वहां रुके थे।

महोदय, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी जिन्होंने ऐसे विचार यहां पर व्यक्त किए, वे मुझे माफ करें। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के अंदर गुजरात में अगर कोई किरसा होता है तो उसके बारे में क्या हुआ? उसकी सभी ने भर्त्सना की। हिन्दुस्तान उस बीमारी से लड़ने में सक्षम है। लेकिन, पाकिस्तान के अंदर व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की कोई तुलना नहीं है।

---

**18.00 hrs**

MR. CHAIRMAN : Shri Rajendra Agrawal, you can continue your speech next time. Now, we will take 'Zero Hour'.